सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2022-2023

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

लेखे एक दृष्टि में
वर्ष 2022-2023 के लिए

प्रधान महालेखाकार
(लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

प्राक्कथन

मुझे वर्ष 2022-23 हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित हमारे वार्षिक प्रकाशन, 'लेखे एक दृष्टि में' का तीसरा अंक प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो वित्त लेखा और विनियोग लेखा में परिलक्षित सरकारी गतिविधियों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

वित्त लेखा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के लेखाओं का सारांश विवरण हैं। विनियोग लेखा संसद द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय का अभिलेख करता है तथा वास्तविक व्यय और आबंटित निधियों के मध्य भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के निदेशन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त और विनियोग लेखा तैयार किया जाता है, जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है, परंतु अभी तक जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का गठन नहीं किया गया है। इसलिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुसार वार्षिक लेखा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

हम सुझावों का स्वागत करते है।

के पी यादव

(के.पी. यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू
दिनांक: 14 अगस्त 2024

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता दर्शाती है कि हम क्या बनने की आकांक्षा रखते हैं)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा और लेखांकन में वैश्विक नेतृत्व और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रवर्तक बनने का प्रयास करते है और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं।

ध्येय

(हमारा ध्येय हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा और लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों; विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

आधारभूत मूल्य

(हमारे आधारभूत मूल्य हमारे सभी कार्यो के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए मानकप्रदान करते हैं।)

- स्वतन्त्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठता
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्ठता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय I	विहंगावलोकन	
1.1	परिचय	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखा और विनियोग लेखा	4
1.4	निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	6
1.5	वर्ष 2022-23 की मुख्य वित्तीय विशिष्टता	9
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) अधिनियम, 2006	11
अध्याय II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	15
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	15
2.3	कर राजस्व	17
2.4	सहायता अनुदान	18
2.5	लोक ऋण	19
अध्याय III	व्यय	
3.1	परिचय	21
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूंजीगत व्यय	25
3.4	नियोजित और अनियोजित व्यय	26
अध्याय IV	विनियोग लेखा	
4.1	वर्ष 2022-23 हेतु विनियोग लेखों का सारांश	27
4.2	बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28
अध्याय V	परिसंपत्तियाँ और देयताएँ	
5.1	परिसंपत्तियाँ	29
5.2	ऋण और देयताएँ	31
5.3	प्रत्याभूतियाँ	32

पृष्ठ संख्या

अध्याय VI	अन्य मदें	
6.1	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	34
6.2	स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता	34
6.3	रोकड़ शेष	35
6.4	मासिक लेखा बंद करने के पश्चात राजकोषों द्वारा लेखा को फ्रीज (कीलित) न करना	36
6.5	लेखों का मिलान	36
6.6	लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	36
6.7	परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना	36
6.8	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	36
6.9	असमायोजित सार आकस्मिक (एसी) बिल	37
6.10	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग	37
6.11	राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	38
6.12	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	38
6.13	पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	39
6.14	ब्याज समायोजन	39
6.15	अप्रत्याशित/ असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय	40
6.16	ब्लॉक अनुदानों को सम्मिलित न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की पुनर्संरचना	40
6.17	सरकार की ऑफ-बजट देयताएं	40
6.18	एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) को निधियों का हस्तांतरण	40
6.19	आकस्मिकता निधि	41
6.20	नई पेंशन योजना	41
6.21	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)	41
6.22	प्रतिकर वनरोपण निधि	42
6.23	विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि का हस्तांतरण	42
6.24	समेकित ऋण शोधन निधि	42
6.25	प्रत्याभूति मोचन निधि	43
6.26	उचंत शेषों की स्थिति	43
6.27	अन्य उपकर/ शुल्क/ अधिभार	43
6.28	पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन	43
6.29	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)	44
6.30	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)	44

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर बहु अभिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखा आँकड़ो को क्रमवार, वर्गीकृत और संकलन करते हैं और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लिए लेखा तैयार करते हैं। यह संकलन 122 राजकोषों (20 जिला राजकोषों सहित) और एक आभासी (वर्चुअल) राजकोष के द्वारा प्रदान किए गए प्रारम्भिक लेखा, अंतरराज्यीय संव्यवहारों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर आधारित होता है। इस संकलन का अनुकरण करते हुए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह मासिक सिविल लेखा (एमसीए) को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक वित्त लेखा और विनियोग लेखा भी तैयार करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लेखापरीक्षा होने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणन के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का अभी तक (जुलाई 2024) गठन नहीं हुआ है और यह एक वर्ष से अधिक समय से राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अत: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुसार, वर्ष 2022-23 हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का वार्षिक लेखा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखों को निम्नलिखित तीन भागों में अनुरक्षित किया जाता है

सरकारी लेखों का संरचना

भाग 1

समेकित निधि

सरकार द्वारा समेकित निधि से प्राप्त सभी राजस्व जिसमें कर और गैर-कर राजस्व, दिए गए ऋण ऋणों की अदायगी (उस पर ब्याज सहित) सम्मिलित है। सरकार के सभी व्यय और संवितरण, जिसमें ऋण जारी करना और लिए गए ऋण (और उस पर ब्याज) का पुनर्भुगतान सम्मिलित है, इस निधि द्वारा पूरा किया जाता है।

भाग 2

आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि की प्रकृति एक अग्रदाय की भांति होती है, जिसका उद्देश्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकार दिए जाने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना होता है। इस तरह के व्यय को बाद में समेकित निधि से वसूल किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए इस निधि का निधि ₹ 25.00 करोड़ है।

भाग 3

लोक लेखा

ऋण से संबंधित सभी संव्यवहार (भाग-I में सम्मिलित किये गए के अतिरिक्त) 'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' और 'उचंत' दर्ज किए जाएं। इस भाग में ऋण, जमा और अग्रिम के अंतर्गत ऐसे संव्यवहार हैं जिनके संबंध में सरकार प्राप्त धनराशियों को चुकाने का दायित्व वहन करती है अथवा भुगतान की गई राशि को वसूलने का दावा करती है, इसके साथ ही पूर्व (ऋण और जमा) की अदायगी और बाद की (अग्रिम) की वसूली भी सम्मिलित है। इस भाग में 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित संवव्यहार में सभी समायोजन मात्र शीर्ष सम्मिलित होंगे, जिसके अंतर्गत राजकोषों और मुद्रा तिजोरियों के मध्य नकदी का प्रेषण और विभिन्न लेखा परिमंडलों के मध्य अंतरण जैसे संव्यवहार दिखाई देंगे। इन शीर्षों में प्रारंभिक डेबिट या क्रेडिट का समाधान अंततः उसी लेखा परिमंडल में या किसी अन्य लेखा परिमंडल में संबंधित प्राप्तियों या भुगतानों द्वारा किया जाएगा।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

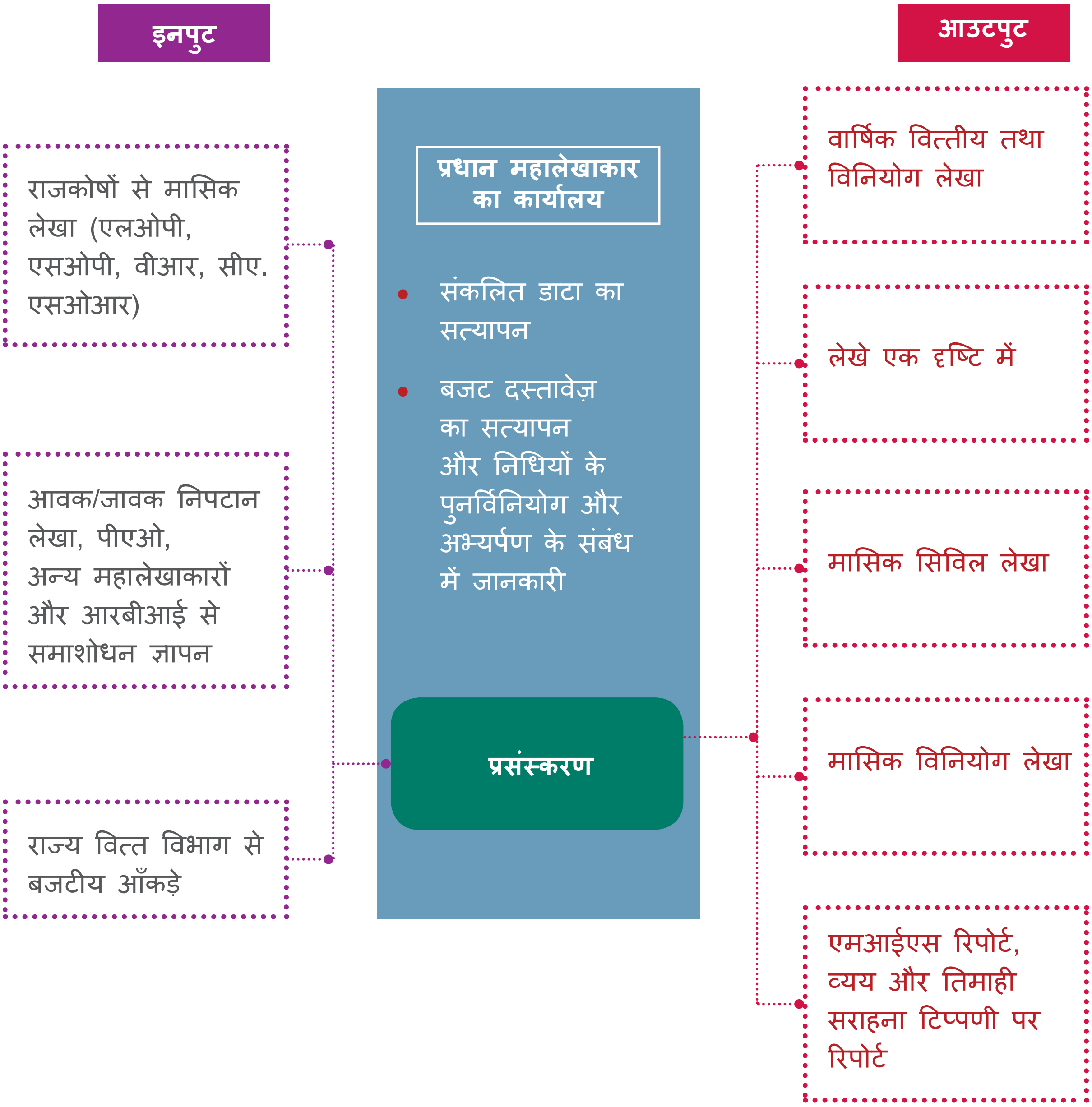

1.3 वित्त लेखा और विनियोग लेखा

1.3.1 वित्त लेखा

वित्त लेखा में वर्ष हेतु जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण और लेखों में अभिलेखित लोक लेखा-शेष द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों को दर्शाया गया है। वित्त लेखा को और अधिक व्यापक और सूचनात्मक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखा के खंड-I में भारत के नियंत्रक और एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित है, समग्र प्राप्तियों और संवितरण (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण व अग्रिम एवं लोक ऋण) निवेश, प्रत्याभूतियां, सहायता अनुदान और 'वित्त लेखे पर टिप्पणियां' में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा गुणवत्ता और अन्य मदों का सारांश निहित होता है; खण्ड II में ब्यौरेवार विवरण (भाग-I) और परिशिष्ट (भाग-II) होता है।

वर्ष 2022-23 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्राप्तियाँ और संवितरण और वित्त लेखा में इसके परिणामस्वरूप अधिशेष/ कमी इस प्रकार है:

वर्ष 2022-23 में प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ 73,832	राजस्व 68,976	**कर राजस्व**	**12,335**
		(क) स्वयं का कर राजस्व	12,335
		(ख) करों की निवल प्राप्तियों का अंश	-
		गैर-कर राजस्व	**5,148**
		सहायता अनुदान	**51,493**
	पूंजीगत 4,856	**ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**01**
		उधारियाँ तथा अन्य देयताएं*	**4,855$**
		अन्य प्राप्तियाँ	**-**
संवितरण 73,832	**राजस्व**		**62,999**
	पूंजीगत		**10,774**
	ऋण और अग्रिम		**59**
	आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण		**-**
	राजस्व अधिशेष		**5,977**
	राजकोषीय घाटा		**4,855**
	प्राथमिक घाटा		**3,698**

** उधारियाँ तथा अन्य देयताए: निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण + आकस्मिक निधि का निवल + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + निवल अथ तथा अंत नकद शेष*

$ जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में बैक टू बैक ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 5,945.29 करोड़ का ऋण शामिल है।

वर्ष 2022-23 में प्राप्तियाँ और संवितरण

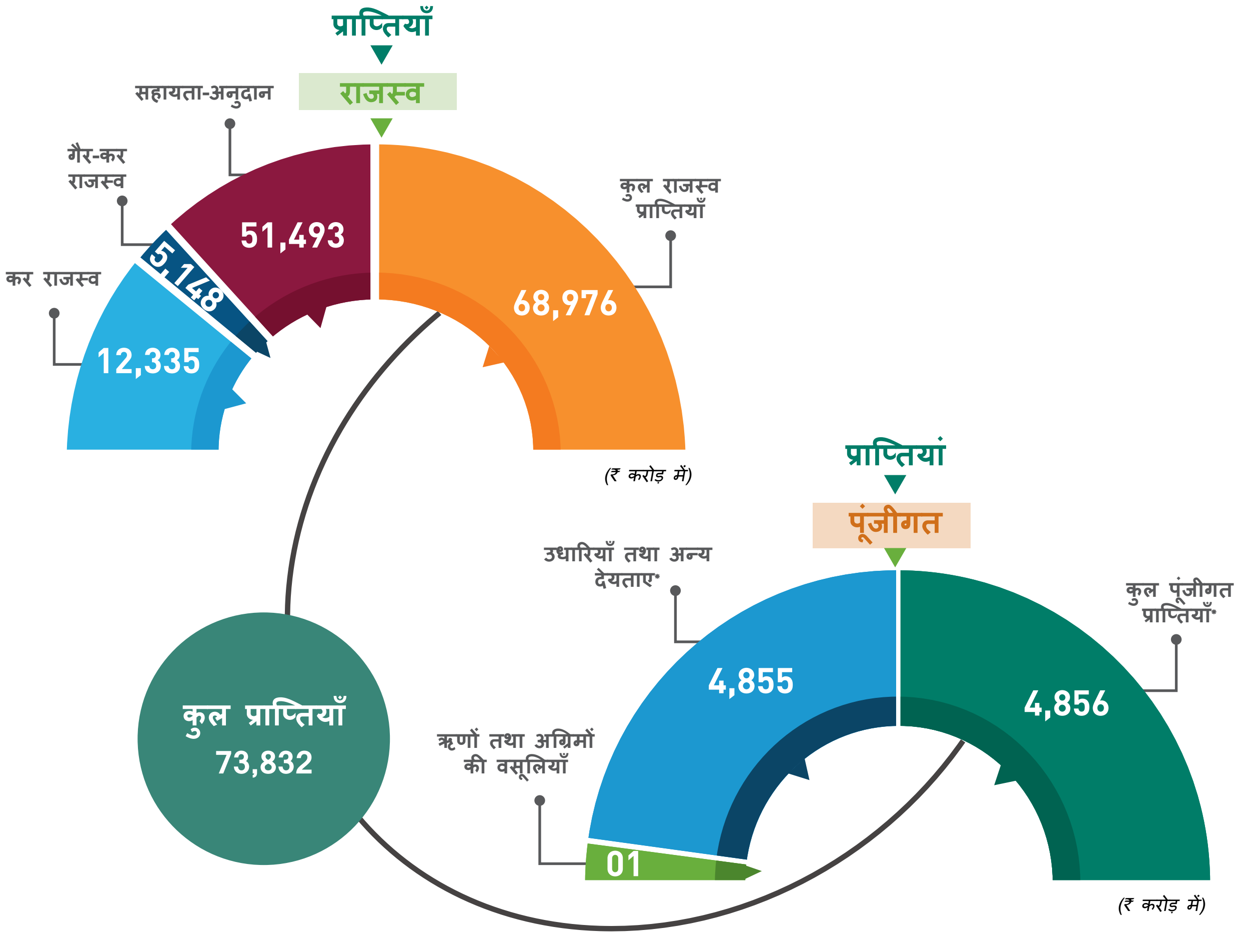

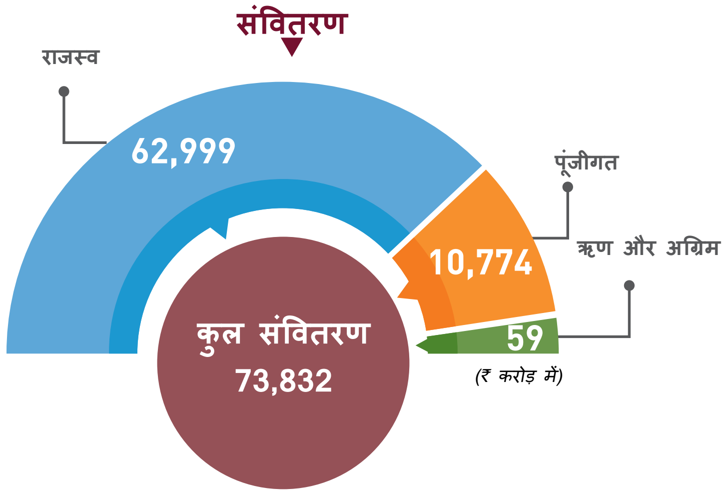

** उधारियाँ तथा अन्य देयताए: निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण + आकस्मिक निधि का निवल + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + निवल अथ तथा अंत नकद शेष*

1.3.2 विनियोग लेखे

पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 43 के अंतर्गत, विधानमंडल के प्राधिकरण के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय को छोड़कर, जिन्हें समेकित निधि पर "*प्रभारित*" किया गया है, उन्हें विधानमंडल के मत के बिना किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय पर "मतदान" की आवश्यकता होती है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के बजट में 36 अनुदान मांगें सम्मिलित हैं, जो *प्रभारित* विनियोग और दत्मत अनुदान को दर्शाती हैं। विनियोग लेखों का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत विनियोग के प्रति संकलित वास्तविक व्यय की सीमा को इंगित करना है।

1.3.3 बजट तैयारी की दक्षता

जम्मू एवं कश्मीर (सं. 2) विनियोग अधिनियम के अनुसार अनुदानों की मूल मांग ₹ 1,42,150.10 करोड़ थी, जिसके बाद 9 अनुदानों और एक विनियोग के संबंध में ₹ 3,711.72 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगें थीं। यद्यपि, ₹ 1,32,788.90 करोड़ के संशोधित अनुमान (आरई) के संबंध में विनियोग लेखा 2022-23 में बचत और अधिकता की गणना की गई है, जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त विभाग द्वारा अंतिम संशोधित अनुदान कहा जाता है।

जम्मू और कश्मीर बजट नियम पुस्तिका 2020 की धारा 14.7.2 में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान भी है कि अनुदान के भीतर भी ऐसे आदेश नहीं किए जा सकते हैं जिनका उद्देश्य राजस्व लेखा से पूंजीगत लेखा में धन का पुनर्विनियोजन करना और इसके विपरीत करना हो। हालांकि, यह देखा गया कि संशोधित अनुदान के अनुसार 2022-23 के विनियोजन लेखा में, ₹ 16,793.13 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण में से (वैध अभ्यर्पण आदेशों द्वारा समर्थित नहीं), संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा बिना विधायी प्राधिकरण के 8 अनुदानों और एक विनियोजन में पूंजीगत से राजस्व में ₹ 3,086.79 करोड़ की राशि संवर्धित/ पुनर्विनियोजित की गई है और 7 अनुदानों में राजस्व से पूंजीगत में ₹ 633.42 करोड़ की राशि संवर्धित/ पुनर्विनियोजित की गई है।

वर्ष 2022-23 में प्राधिकार के प्रति ₹1,07,948 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹43,137 करोड़ की बचत हुई। अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) तथा अनुदान संख्या 16 (लोक निर्माण विभाग) में प्राधिकार के प्रति ₹1,504 करोड़ की अधिकता थी।

1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

न्यूनतम नकद शेष [1.14 करोड़] की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाता हैं, जिसे संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को दिया गया कुल अर्थोपाय अग्रिम ₹ 17,980 करोड़ था, 01.04.2022 तक अर्थोपाय अग्रिम के कारण ₹499 करोड़ की राशि बकाया थी, जिसमें से सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 19,055 करोड़ चुका दिए। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 तक (-) ₹ 576 करोड़ की राशि बकाया रही। ऋणात्मक शेष राशि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक शेष राशि गैर-विभाजन के कारण बकाया है। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक ₹ 692 करोड़ का बकाया शेष था, जिसे उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से लिया जाता है, जबकि न्यूनतम रोकड़ शेष की की सीमा ₹ 1.14 करोड़ से कम होती है, यहां तक कि अर्थोपाय अग्रिम लेने के बाद भी इसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है। 2022-23 के दौरान, ₹ 10,981 करोड़ का ओवरड्राफ्ट भी जुटाया गया, जिसका उसी अवधि के दौरान भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 तक *शून्य* बकाया बचा।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के पास ₹ 5,977 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹ 4,855 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी {सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध ₹ 2,24,797 करोड़ (26 अप्रैल 2023)} का 2.16 *प्रतिशत* था। इस राजकोषीय घाटे को निम्नलिखित से प्राप्त किया गया है:

- आंतरिक ऋण ₹ 4,167 करोड़ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि)
- केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (-) ₹ 120 करोड़
- लघु बचत, भविष्य निधि आदि, (-) ₹ 573 करोड़
- आरक्षित निधियां ₹ 375 करोड़
- जमा और अग्रिम ₹ 707 करोड़
- ₹ 289 करोड़ राशि के उचंत और विविध
- ₹ 10 करोड़ का प्रेषण

संघ राज्य क्षेत्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 68,976 करोड़) का लगभग 68.91 *प्रतिशत* वेतन (₹ 27,838 करोड़), पेंशन भुगतान (₹ 11,142 करोड़) और ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध व्यय (₹ 8,553 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्रोत	
1 अप्रैल 2022 को अथ रोकड़ शेष	1,448
राजस्व प्राप्तियाँ	68,976
पूंजीगत प्राप्तियाँ	-
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	01
लोक ऋण	38,114
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	6,062
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	452
प्राप्त जमा	4,613
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा*	24,336
प्रेषित धन	01
कुल	1,44,003

अनुप्रयोग	
राजस्व व्यय	62,999
पूंजीगत व्यय	10,774
प्रदत्त ऋण	59
लोक ऋणों की पुन: अदायगी	34,067
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,636
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	77
चुकाई गई जमा	3,906
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा*	24,047
प्रेषित धन	(-)10
31 मार्च 2023 तक अंत रोकड़ शेष	1,448
कुल	1,44,003

** उचंत लेखा में सम्मिलित राजकोषीयबिलों और विभागीय शेषों के संवितरण और स्थायी नकद अग्रदाय में ₹ 22,739 करोड़ निवेश किए गए जिसे "अनुप्रयोग" के एक ओर दर्शाया गया है और ₹ 22,739 करोड़ के मूल्य के राजकोषीय बिलों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विक्रय किया गया (एक प्रक्रिया जिसे "रि-डिस्काउंटिंग"नाम से जाना जाता है।) और विभागीय शेष में प्राप्ति और स्थायीअग्रदाय जो कि "स्रोत"की ओर दर्शाया गया है।*

1.4.4 रूपया (₹) कहाँ से आया

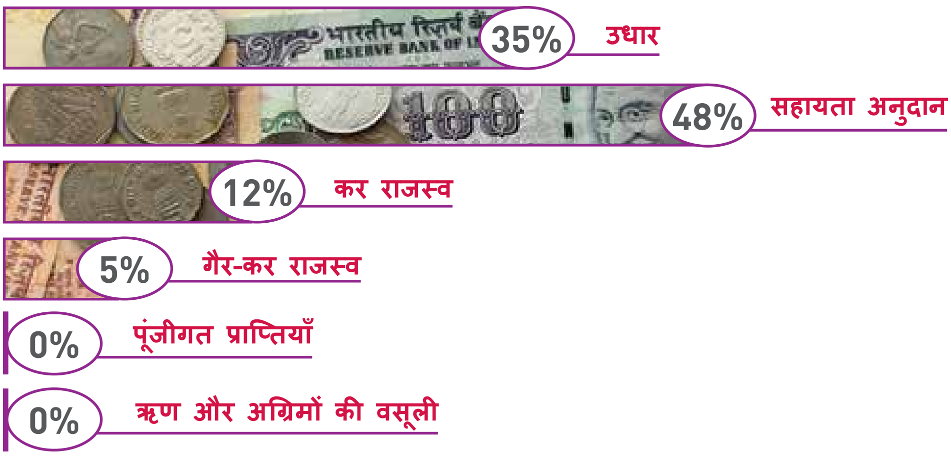

** केवल ₹ 1 करोड़ नगण्य*

1.4.5 रुपया (₹) कहां गया

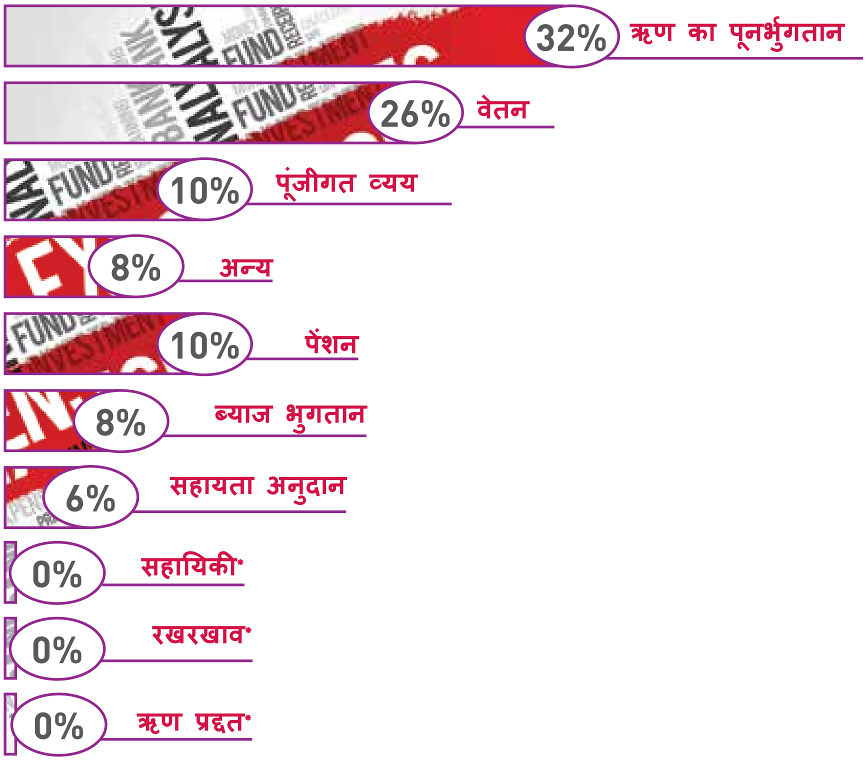

** नगण्य (सहायिकी ₹ 28.00 करोड़, अनुरक्षण ₹ 556 करोड़ और दिया गया ऋण ₹ 59 करोड़ मात्र)।*

1.5 वर्ष 2022-23 की मुख्य वित्तीय विशिष्टता

महालेखानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किए गए ₹ 802.04 करोड़ के प्रतिवर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे ₹ 786.95 करोड़ की निधि जारी की गई।

विवरण खंड-II में वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केंद्र सरकार से विभिन्न स्वायत्त निकायों, केंद्र सरकार के संगठनों, समीतियों आदि को भी सीधे ₹ 3,450.39 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	बजट आंकलन 2022-23	वास्तविक	बीई को वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी को वास्तविक का प्रतिशत*
1.	कर राजस्व (केंद्रीय अंश सम्मिलित करते हुए)	16,666	12,335	74	05
2.	गैर-कर राजस्व	8,648	5,148	60	02
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	77,008	51,493	67	23
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	**1,02,322**	**68,976**	**67**	**31**
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	05	01	20	**
6.	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7.	उधारियाँ और अन्य देयताएं	10,623	4,855	46	02
8.	*पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	**10,628**	**4,856**	**46**	**02**
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	**1,12,950**	**73,832**	**65**	**33**
10	राजस्व व्यय	71,615	62,999	88	28
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	7,692	8,553	^	4
12.	पूंजीगत व्यय	41,226	10,774	26	05
13.	*संवितरित ऋण और अग्रिम*	**109**	**59**	**54**	**
14.	*आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण*	-	-	-	-
15.	*कुल व्यय (10+12+13)*	**1,12,950**	**73,832**	**65**	**33**
16.	*राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) (4-10)*	**(+)30,707**	**(+)5,977**	**19**	**03**
17.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-15)*	**10,623**	**4,855**	**46**	**02**

* *सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध (26.04.2023) के अनुसार ₹ 2,24,797 करोड़।*

** *नगण्य।*

^ *100 प्रतिशत से अधिक।*

घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते है?

घाटा

यह राजस्व और व्यय के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे को कैसे वित्तपोषित किया जाता है, और निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय प्रबंधन की विवेकशीलता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। सरकार की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है और आदर्श रूप से, इसे राजस्व प्राप्तियों से पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए, यह अंतर इस बात को इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। आदर्श रूप से, उधार को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) अधिनियम, 2006

सरकार के राजकोषीय निष्पादन के आंकलन हेतु घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन और व्यय प्रबंधन प्रमुख मानदंड हैं। जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को सीमित करके और अपने ऋण प्रबंधन को सतत स्तर पर रखकर राजकोषीय प्रबंधन में व्यवहार कुशलता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह राजकोषीय परिचालनों में और अधिक पारदर्शिता की भी अपेक्षा करता है।

जम्मू और कश्मीर एफआरबीएम/ एमटीएफपी नियमावली में केवल (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व आधिक्य/घाटा (ख) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा और (ग) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में कुल बकाया देयताओं हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्दिष्ट किये गये हैं।

1.6.1 एफआरबीएम/एमटीएफपी के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

अगस्त 2009 में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पारित जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम 2006 के अनुसार, उत्तरवर्ती जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2023-24 हेतु संघ राज्य के बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति और रणनीति ब्यौरे को संसद में (मार्च 2023) प्रस्तुत किया। वर्ष 2022-23 हेतु किसी राजकोषीय संकेतकों-रोलिंग लक्ष्यों को उल्लिखित नहीं किया गया। तथापि, लेखा वर्ष 2022-2023 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के राजकोषीय मापदण्ड निम्न प्रकार थे:

क्रम संख्या	मापदण्ड	लेखा और जीएसडीपी* के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियां*
1	राजस्व अधिशेष	लेखा के अनुसार ₹ 5,977 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2022-23 के लिए जीएसडीपी का 2.66 *प्रतिशत* और ₹ 68,976 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का 8.67 *प्रतिशत* था।
2	राजकोषीय घाटा	लेखा के अनुसार 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा ₹ 4,855 करोड़ था जो जीएसडीपी का 2.16 *प्रतिशत* था।
3	बकाया लोकऋण# और अन्य देयताएं	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बकाया लोक ऋण# और अन्य देयताएं (₹ 27,947# करोड़) (30 अक्टूबर 2019 को समाप्त बकाया ₹ 82,050.50 करोड़ के लोक ऋण और अन्य देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है, बकाया है) जीएसडीपी का 12.43 *प्रतिशत* था।

** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध (26.04.2023) के अनुसार ₹ 2,24,797 करोड़।*
 # ऋण में ₹ 5,945.29 करोड़ (2020-21 का ₹ 2,099.80 करोड़ और 2021-22 का ₹ 3,845.49 करोड़) सम्मिलत नहीं है, जिसे जीएसटी प्रतिकर में कमी के बदले में भारत सरकार द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया गया।

बकाया ऋण में सभी ऋण (जीएसटी प्रतिकर में कमी के बदले में दिए गए ₹ 5,945.29 करोड़ को छोड़कर) और अन्य देयताएं सम्मिलित हैं।

पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत ₹ 261 करोड़ (अनुदान-सहायता ₹ 191 करोड़ और सहायिकी ₹ 28 करोड़, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि जमा पर ₹ 42 करोड़ ब्याज का भुगतान न करना) के राजस्व व्यय को कम बताए जाने के कारण, लेखे में दर्शाए गए ₹ 5,977 करोड़ के बजाय 2022-23 के दौरान वास्तव में ₹ 5,716 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। ब्याज के अल्प अंशदान के रूप में राजस्व व्यय को ₹42 करोड़ कम दर्शाए जाने के कारण राजकोषीय घाटा भी उसी सीमा तक न्यूनोक्त दर्शाया गया।

1.6.2 राजस्व अधिशेष/ कमी और राजकोषीय घाटा का प्रवाह

राजस्व अधिशेष/ घाटे की प्रवृत्ति

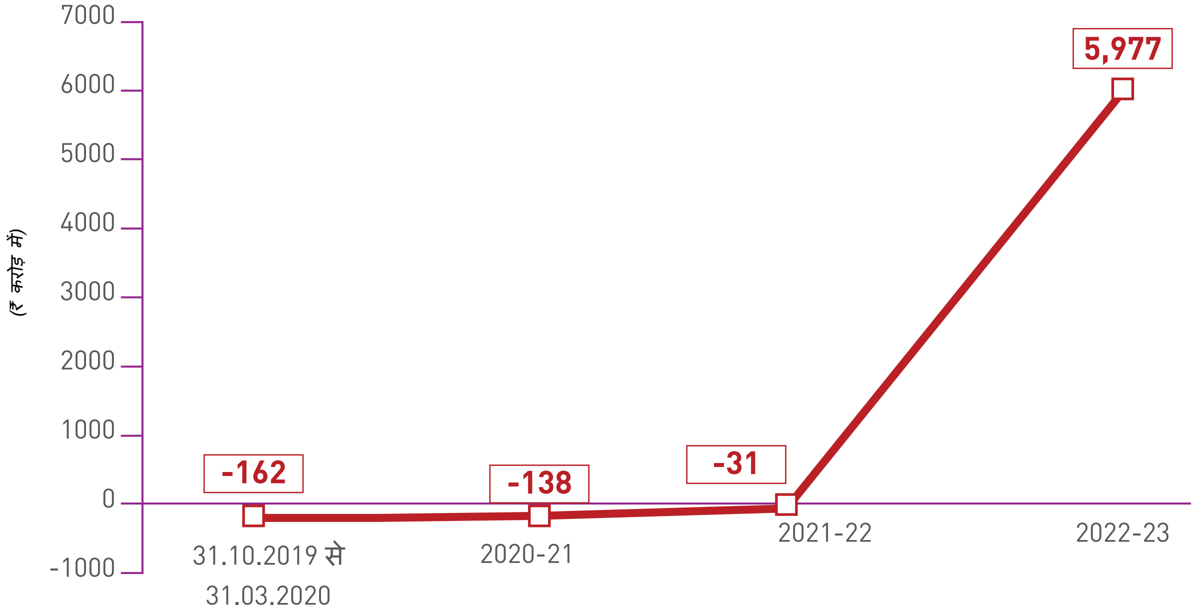

राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

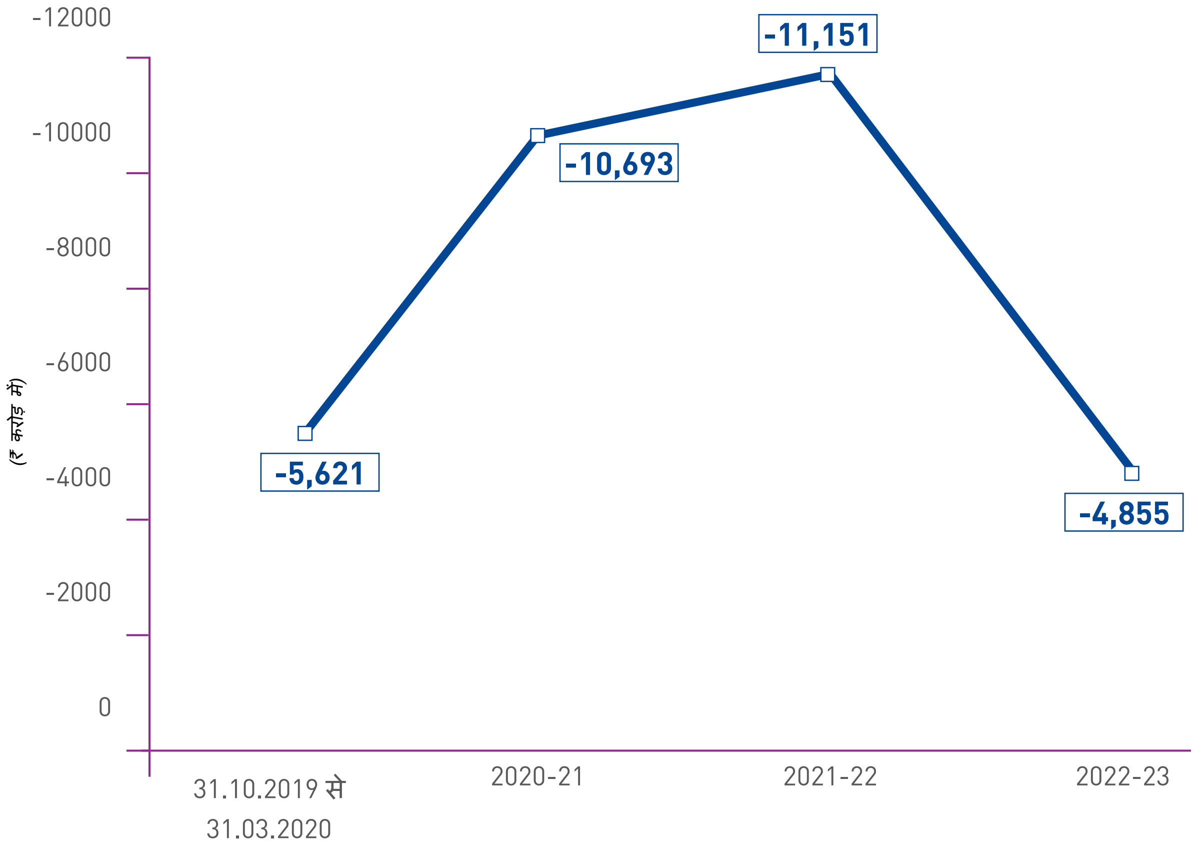

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का समानुपात

उधार निधियां और पूंजीगत व्यय

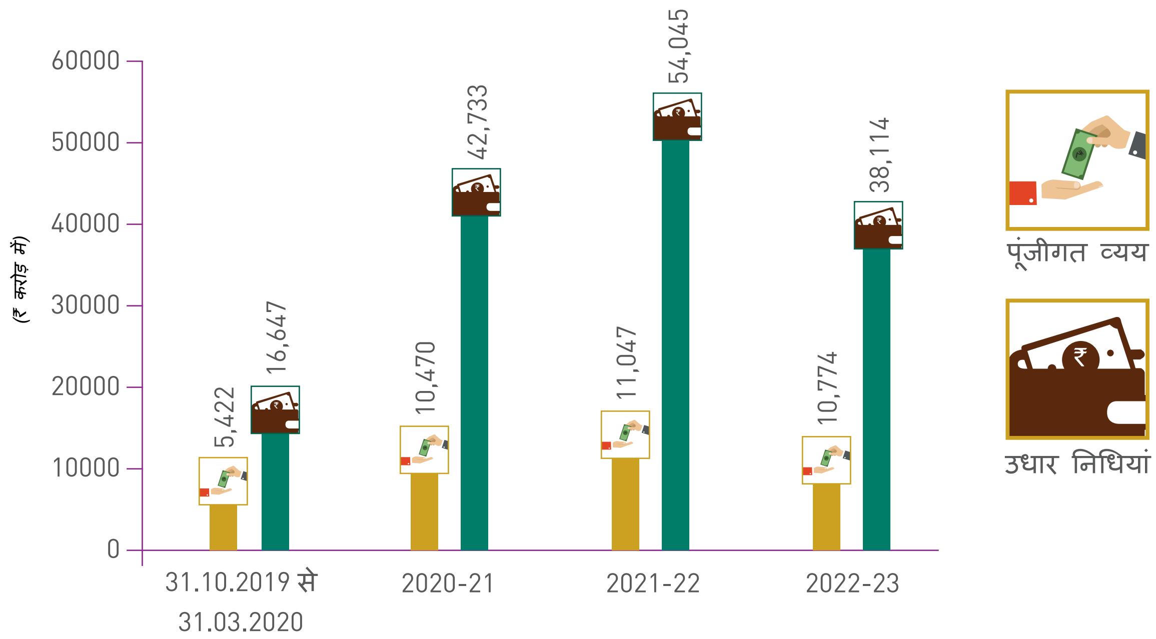

व्यवहार कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि धन केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार लिया जाए तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन की अदायगी तथा उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किया जाए। यद्‌यपि, लोक ऋण का 72 *प्रतिशत* (₹ 27,340 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण पर मूलधन की अदायगी तथा ब्याज के भुगतान पर व्यय किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने चालू वर्ष के उधार (₹ 38,114 करोड़) का 28 *प्रतिशत* पूंजीगत व्यय (₹ 10,774 करोड़) पर खर्च किया। इस राशि में ₹ 219 करोड़ का गलत वर्गीकृत राजस्व व्यय सम्मिलित है। इस राशि को छोड़ने पर पूंजीगत व्यय पर व्यय किए गए उधार का *प्रतिशत* और भी कम होकर 27 *प्रतिशत* रह जाता है।

अध्याय 2

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2022-23 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 68,976 करोड़ थीं।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों में तीन घटक सम्मिलित हैं, अर्थात कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और संघ सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता।

कर राजस्व: संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत राज्य द्वारा एकत्रित और रखे गए कर तथा संघीय करों में राज्य का अंशदान सम्मिलित है।

गैर-कर राजस्व: इसमें ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित है

सहायता अनुदान: अनिवार्य रूप से, संघ सरकार से राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में विदेशी स्रोतों से प्राप्त और संघ सरकार के माध्यम से चैनलाइज़ की गई "बाहय सहायता अनुदान" सम्मिलित है। इसके बदले में, राज्य सरकारें नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसी संस्थाओं को भी सहायता अनुदान देती हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ

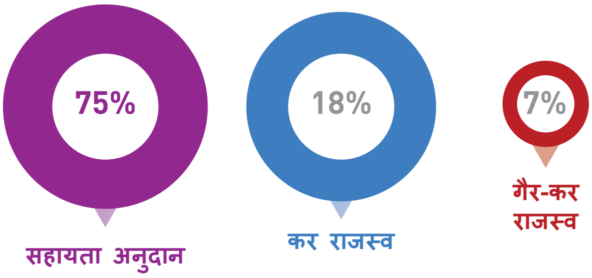

2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ घटक 2022-23

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
*क. कर राजस्व**	**12,335**
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	7,212
आय और व्यय पर कर	-
सम्पत्ति व पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	688
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,435
ख. गैर-कर राजस्व	**5,148**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	19
सामान्य सेवाएं	295
समाज सेवाएं	191
आर्थिक सेवाएं	4,643
ग. सहायता अनुदान व अंशदान	**51,493**
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**68,976**

** वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को सौंपे गए निवल आगमों का कोई अंश संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
कर राजस्व	4,056	8,877 (05)	11,707 (06)	12,335 (05)
गैर-कर राजस्व	2,063	4,077 (02)	4,840 (02)	5,148 (02)
सहायता अनुदान	16,438	39,542 (23)	42,691 (22)	51,493 (23)
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**22,557**	**52,496 (30)**	**59,238 (30)**	**68,976 (31)**
वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी*	**लागू नहीं**	**1,76,282**	**1,96,696**	**2,24,797**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

** 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु जीएसडीपी संघ राज्य क्षेत्र सरकार सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर 2020-21 के लिए ₹ 1,76,282 करोड़, 2021-22 के लिए ₹ 1,96,696 करोड़, 2022-23 के लिए ₹ 2,24,797 करोड़ उपलब्ध हैं।*

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

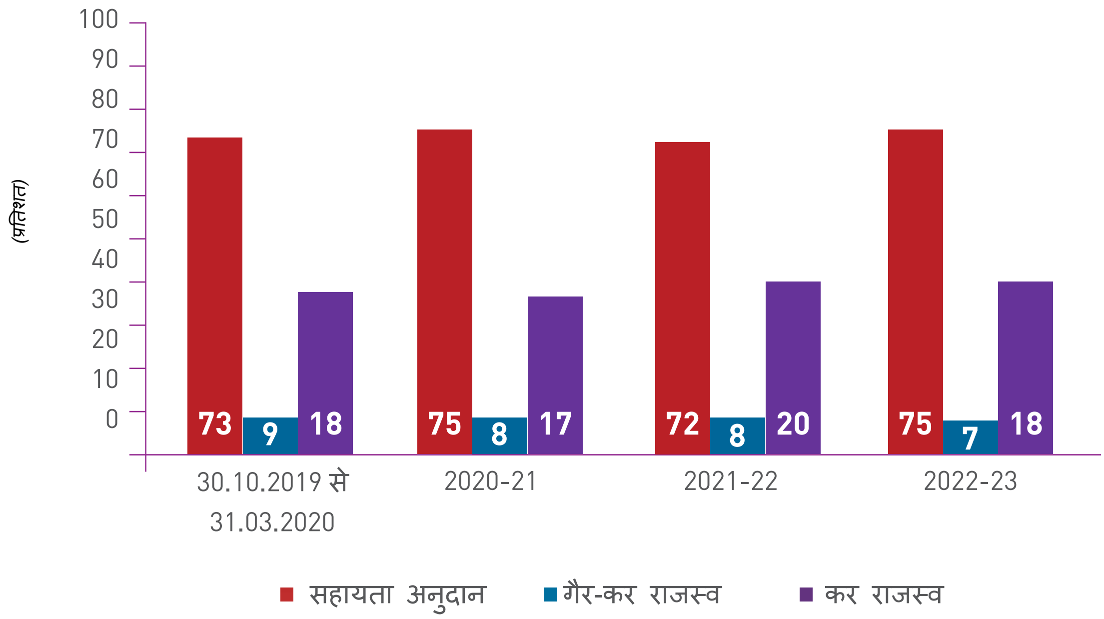

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	2,115	4,839	6,394	7,212
आय और व्यय पर कर	-	-	-	-
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	166	386	625	688
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,775	3,652	4,688	4,435
कुल कर राजस्व	4,056	8,877	11,707	12,335

2.3.1 संघ राज्य क्षेत्र के स्वयं के कर संग्रह की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

कर	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	2,115	4,839	6,394	7,212
भू-राजस्व	48	61	113	131
स्टाम्प और पंजीकरण	118	326	512	557
राज्य उत्पाद शुल्क	588	1,347	1,783	1,794
बिक्री कर	782	1,496	1,906	1,554
वस्तु और यात्रियों पर कर	158	01	06	24
वाहनों पर कर	248	488	616	723
अन्य कर	01	319	377	340
कुल कर राजस्व	4,056	8,877	11,707	12,335

2.4 सहायता अनुदान

संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान (जीआईए) भारत सरकार से सहायता को दर्शाता है और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं और संघ राज्य क्षेत्र को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान हेतु अनुदान समाविष्ट हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 51,493 करोड़ थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

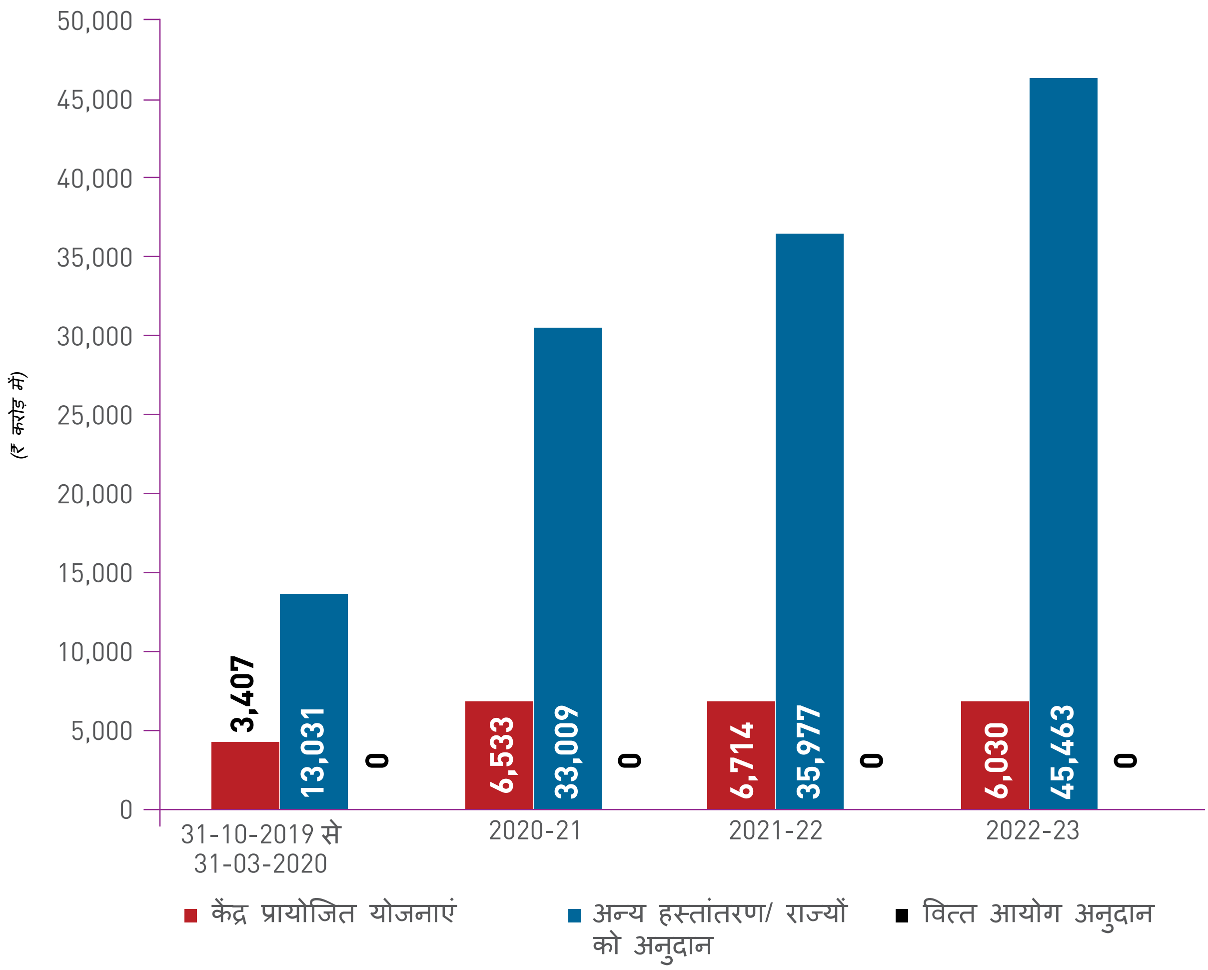

2.5 लोक ऋण

निवल लोक ऋण की स्थिति की प्रवृत्ति

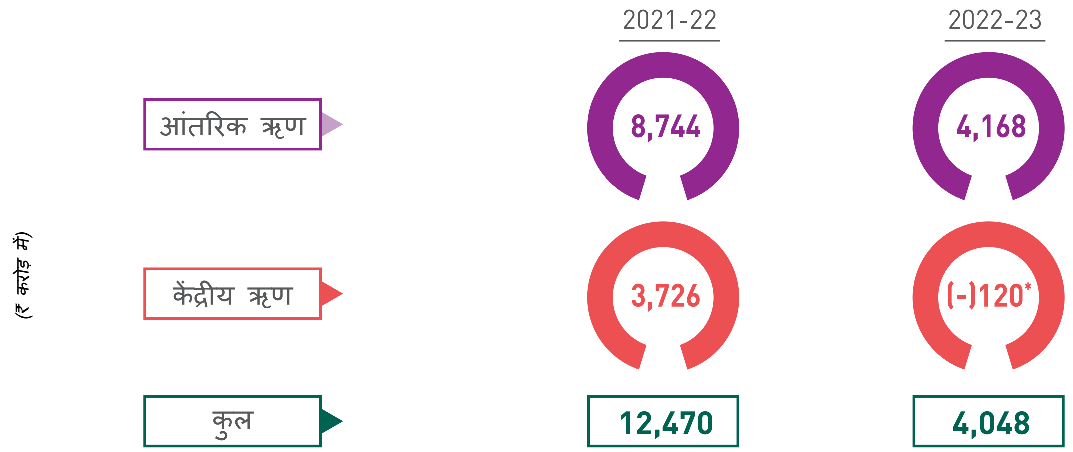

* ऋणात्मक आंकड़ा प्राप्तियों की तुलना में अधिक भुगतान के कारण है।

पूंजीगत व्यय की तुलना में उधार ली गई निधियां

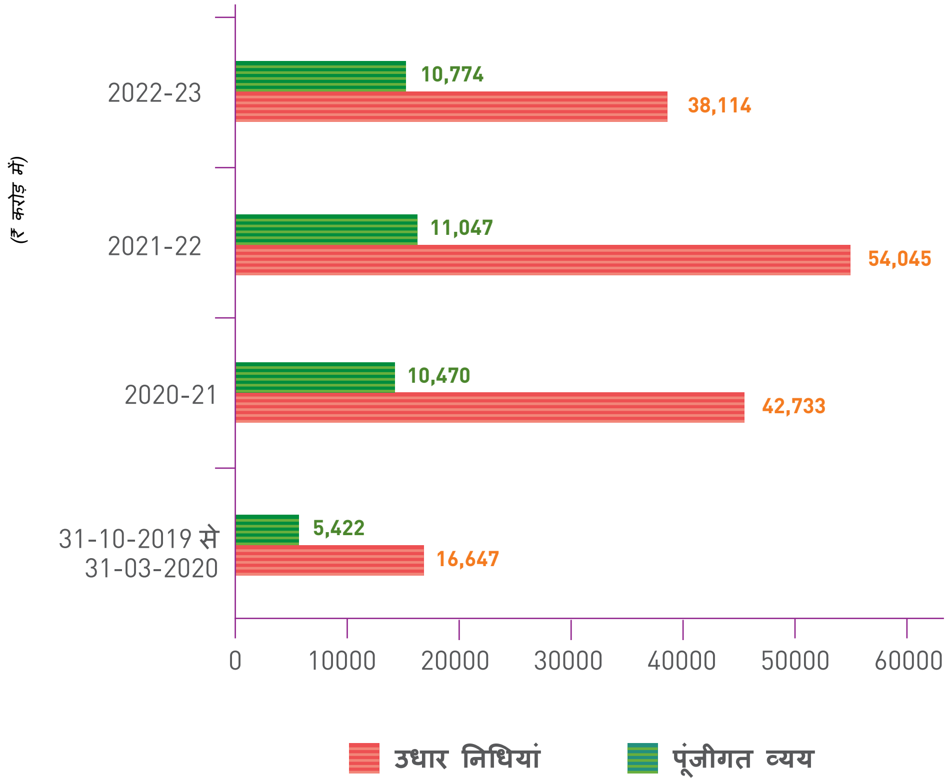

वर्ष 2022-23 के दौरान, खुले बाजार से 6.68 *प्रतिशत* से 8.06 *प्रतिशत* तक की भिन्न ब्याज दरों पर कुल ₹ 8,473 करोड़ के 12 ऋण उठाए गए थे तथा ये वर्ष 2041-42 तक मोचनीय हैं। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 681 करोड़ का ऋण एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के रूप में ₹ 28,960 करोड़ का ऋण उठाया है। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र का उधार

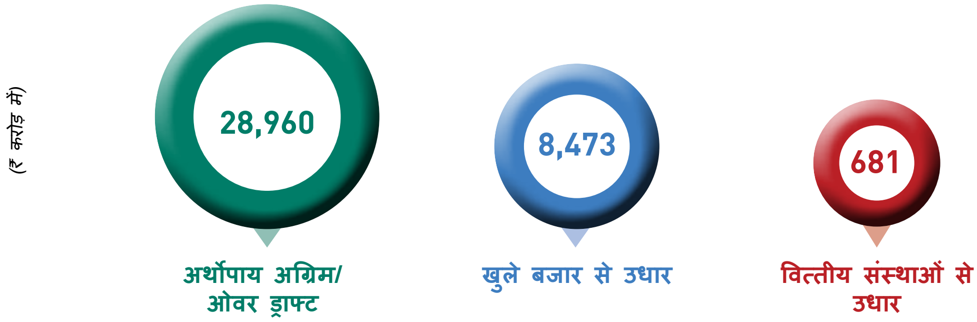

अध्याय 3

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।राजस्व व्यय का उपयोग सरकार की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, या इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थायी देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है।

सरकारी लेखाओं में, व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

सामान्य सेवाएं	न्याय,ब्याज भुगतान, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत इत्यादी सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहयोग, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के बजट प्रावधानों के प्रति राजस्व व्यय की बचत नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2022-23
बजट प्रावधान	68,804	71,615
वास्तविक	59,269	62,999
बचत (-) / आधिक्य (+) में अन्तर	(-)9,535	(-)8,616
बजट अनुमान के प्रति वास्तविक आँकडों में अन्तर का *प्रतिशत*	(-)14	(-)12

कुल राजस्व व्यय का लगभग 75.45 *प्रतिशत* "प्रतिबद्ध" व्ययों, जैसे वेतन (₹ 27,838 करोड़), पेंशन (₹ 11,142 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹ 8,553 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं।

2021-22 और 2022-23 के दौरान प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2022-23
कुल राजस्व व्यय	59,269	62,999
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	45,000	47,533
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का *प्रतिशत*	76	75
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	14,269	15,466

* *प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल है।*

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 5.63 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय में 6.29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	**621**	01
सम्पत्ति और पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	15	#
वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	594	01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	12	#
ख. राज्य के अंग	406	01
ग. ब्याज भुगतान और ऋण शोधन	8,553	14
घ. प्रशासनिक सेवाएं	10,438	16
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	11,144	18
च. सामाजिक सेवाएं	22,984	36
छ. आर्थिक सेवाएं	8,853	14
ज. सहायता अनुदान अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	62,999	100

 # नगण्य

(₹ करोड़ में)

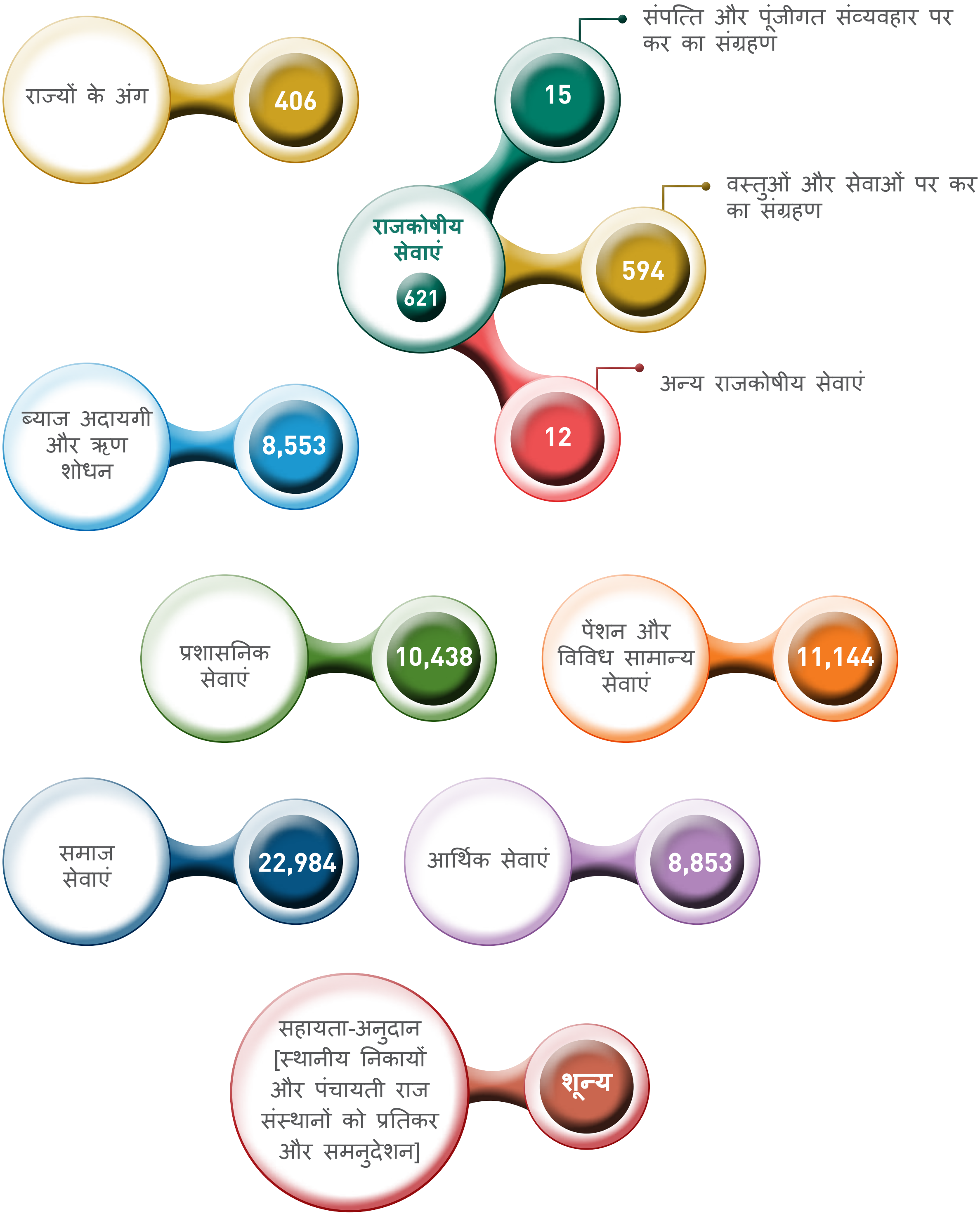

राज्यों के अंग
406
राजकोषीय सेवाएं
621
15
संपत्ति और पूंजीगत संव्यवहार पर कर का संग्रहण
594
वस्तुओं और सेवाओं पर कर का संग्रहण
12
अन्य राजकोषीय सेवाएं
ब्याज अदायगी और ऋण शोधन
8,553
प्रशासनिक सेवाएं
10,438
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं
11,144
समाज सेवाएं
22,984
आर्थिक सेवाएं
8,853
सहायता-अनुदान [स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को प्रतिकर और समनुदेशन]
शून्य

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति
31.10.2019 से 31.03.2020, 2020-21, 2021-22 और 2022-23

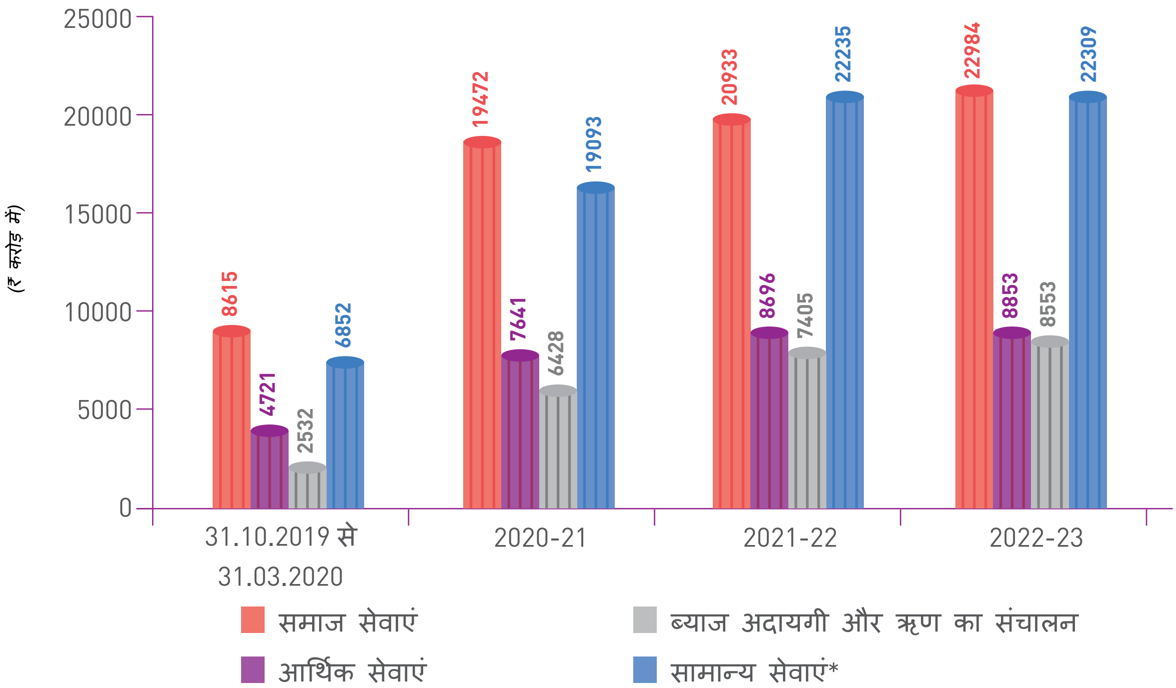

*सामान्य सेवाओं में एमएच 2048 (ऋण में कमी या परिहार हेतु विनियोग)व एमएच 2049 (ब्याज भुगतान)सम्मिलित नहीं है।

3.3 पूंजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को बनाए रखना है तो पूंजीगत व्यय आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 10,774 करोड़ की पूंजीगत संवितरण राशि ₹ 41,226 करोड़ (ऋण और अग्रिम के लिए ₹ 109 करोड़ के अनुदान को छोड़कर) के बजट अनुमानों के सापेक्ष ₹ 30,452 करोड़ कम रही। 2022-23 के दौरान ₹ 10,774 करोड़ के पूंजीगत संवितरण के अतिरिक्त, ₹ 59 करोड़ के ऋण और अग्रिम भी संवितरित किए गए जो पूंजीगत व्यय का भाग थे। ऋण और अग्रिम में उक्त अवधि के दौरान मूल अनुदान (₹ 109 करोड़) के प्रति ₹ 50 करोड़ की बचत भी दर्शायी गई।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
1	बजट (बजट आंकलन)	14,798	34,408	39,708	41,226
2	वास्तविक व्यय	5,422	10,495	11,047	10,774
3	बजट आंकलन से वास्तविक व्यय का प्रति शत	37	31	28	26
4	पूंजीगत व्यय# में वार्षिक वृद्धि	#	#	05	(-)02
5	जीएसडीपी*	*	1,76,282	1,96,696	2,24,797
6	जीएसडीपी# में वार्षिक वृद्धि#	-	#	12	14

मात्र वर्ष 2019-20 (अवधि 31.10.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए पांच महीने के लेखा के कारण लागू नहीं है।
* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसार 2020-21, 2021-22 और 2022-23 हेतु जीएसडीपी क्रमशः ₹ 1,76,282 करोड़, ₹ 1,96,696 करोड़ और ₹ 2,24,797 करोड़ है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में विद्युत परियोजनाओं (₹ 722 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 40 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं (₹ 170 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 29 करोड़) और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 209 करोड़) पर ₹ 1,170 करोड़ का संशोधित व्यय सम्मिलित है। सरकार ने विभिन्न निगमों/कंपनियों/ समीतियों में भी ₹ 31 करोड़ का निवेश किया। निवेश मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम में किया गया। यद्यपि, सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 349 करोड़ का निवेश दर्शाया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों आँकड़ों मध्य ₹ 318 करोड़ का अंतर है।

3.3.2 पूंजीगत और राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार वितरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र		31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
(क)	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	733	776	659	1,098
		राजस्व	9,384	25,521	29,640	31,162
(ख)	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,493	2,492	2,723	2,714
		राजस्व	8,615	19,472	20,933	22,984
(ग)	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,196	7,202	7,665	6,962
		राजस्व	4,721	7,641	8,696	8,853
(घ)	सहायता अनुदान और अंशदान	पूंजीगत	-	-	-	-
		राजस्व	-	-	-	-

3.4 नियोजित और अनियोजित व्यय

भारत सरकार ने 2017-18 से व्यय का योजना और गैर-योजना के रूप में विभाजन बंद कर दिया है। तदनुसार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने अपने बजट में व्यय की प्रकृति को संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय और केंद्रीय सहायता निधि व्यय के रूप में संशोधित किया है।

व्यय का वितरण

7,420 crore

संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय

3,353 crore

केंद्रीय सहायता निधि व्यय

अध्याय 4

विनियोग लेखा

4.1 वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
1.	**राजस्व**	71,615	6,582*	78,197	62,999	(-)15,198	3,193
2.	**पूंजीगत**	37,705	849#	38,554	10,774	(-)27,780	13,600
3.	**लोक ऋण**	32,721	-	32,721	34,067	(+)1,346	-
4.	**ऋण एवं अग्रिम**	109	-	109	59	(-)50	-
5.	**कुल**	**1,42,150**	**7,431**	**1,49,581**	**1,07,899**	**(-)41,682**	**16,793**

**विधानसभा की स्वीकृति के बिना पूंजीगत भाग से किए गए अभ्यर्पण में ₹ 3,087 करोड़ की वृद्धि हुई।*
#विधानसभा की स्वीकृति के बिना राजस्व भाग से किए गए अभ्यर्पणमें ₹ 633 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.2 बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

बचत (-)/ आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और अग्रिम	कुल
31.10.2019 से 31.03.2020	(-)8,675	(-)8,341	(+)3,096	(-)49	**(-)13,969**
2020-21	(-)11,563	(-)32,295	(+)7,094	(-)46	**(-)36,810**
2021-22	(-)7,968	(-)19,799	(-)01	(-)44	**(-)27,812**
2022-23	(-)15,198	(-)27,780	(+)1,346	(-)50	**(-)41,682**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अंतर्गत पर्याप्त बचत निश्चित योजनाओं/ कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है।

महत्त्वपूर्ण निवल बचत सहित कुछ अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामपद्धति	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22	2022-23
03	योजना	639 (65)	945 (62)	1,239 (68)	575 (51)
06	विद्युत विकास	4,557 (63)	13,999 (80)	3,564 (45)	5,277 (60)
10	कानून	301 (45)	506 (55)	367 (48)	477 (53)
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	206 (45)	466 (64)	305 (52)	430 (63)
18	समाज कल्याण	738 (46)	820 (33)	1,131 (36)	1015 (32)
20	पर्यटन	215 (55)	637 (77)	211 (45)	190 (37)
22	सिंचाई	474 (56)	1,757 (71)	756 (52)	1,372 (62)
23	सार्वजनिक स्वास्थ अभियांत्रिका	...	...	2,063 (52)	8,033 (80)
25	श्रम, लेखन-सामाग्री और मुद्रण	...	...	64 (42)	92 (52)
28	ग्रामीण विकास	...	...	3,196 (64)	2,422 (44)
30	जनजातीय मामले	...	...	239 (58)	422 (74)
31	संस्कृति	...	...	287 (86)	335 (83)
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा	...	...	298 (35)	243 (43)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आँकड़े निवल बचत की प्रतिशतता को दर्शाते है।

अध्याय 5

परिसंपत्तियाँ और देयताएं

5.1 परिसंपत्तियाँ

लेखा का वर्तमान स्वरूप, वर्ष के दौरान भूमि अधिग्रहण/ क्रय के अतिरिक्त,सरकारी परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते है। इसी प्रकार, लेखा चालू वर्ष में उत्पन्न होने वाली देयताओं का प्रभाव प्रस्तुत करता है, जबकि वे ब्याज की दर और वर्तमान ऋणों की अवधि द्वारा सीमित सीमा के अतिरिक्त भावी पीढ़ियों पर देयताओं के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

वित्त लेखा में सरकारी निवेश की जानकारी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से संबंधित निवेशित संस्था से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, परंतु जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों (वित्त सहित) द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 2022-23 के दौरान, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने ₹ 30.87 करोड़ की राशि निवेश के रूप में दर्ज की। दर्ज की गई राशि के प्रति, संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 349.47 करोड़ का निवेश दर्शाया है, जिसके परिणामस्वरूप दो आंकड़ों के मध्य ₹ 318.60 करोड़ का अंतर है। जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास निगम और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड ने अब वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वार्षिक वित्त लेखा में दर्शाने हेतु {प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से ₹ 82.98 करोड़ (क्रमशः ₹ 33.98 करोड़ और ₹ 49.00 करोड़) के निवेश का विवरण प्रस्तुत किया है। यह निवेश वर्ष 2021-22 से संबंधित है जो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के बाद) से संबंधित है और इकाई द्वारा इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी। चूंकि निवेश पिछले वर्ष (2021-22) से संबंधित है, इस कारण इसे 31 मार्च 2023 तक संचयी शेष राशि में जोड़ दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के पास 31 मार्च 2023 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023) तक ₹ 1,311.59 करोड़ का निवेश था, जिससे 2022-23 के दौरान कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ। 31 मार्च 2023 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सूचित किए गए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के निवेश का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	अधिष्ठानों की संख्या	वर्ष 2022-23 के अंत में निवेश
सांविधिक निगम	2	193.91
ग्रामीण बैंक	2	17.32
सरकारी कंपनियाँ	40	860.51$
अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और भागीदारी	2	-
सहकारी बैंक और समितियाँ	8	239.85*
कुल	54	1,311.59

$ इसमें 2021-22 के दौरान निवेश किए गए ₹ 82.98 करोड़ सम्मिलित हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास निगम और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 हेतु संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

**रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों से सहकारी समितियों में निवेश की अद्यतन जानकारी प्रतीक्षित होने के कारण (जुलाई 2023), पिछले लेखा में दर्शाये गए 31 मार्च 2020 तक के निवेश को चालू लेखा में दर्शाया गया है।*

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) के अंत में 52 संस्थाओं में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किया गया कुल निवेश (संशोधित आंकड़े) ₹ 4,620.16 करोड़ था, जो निवेशित संस्थाओं द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दी गई जानकारी/ डेटा पर आधारित था और सरकार के साथ इसका मिलान नहीं किया गया था। इन निवेशों का विभाजन संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (जुलाई 2023) के मध्य किया जाना शेष है। संस्थाओं द्वारा सरकार के साथ लेखा में दर्शाए गए निवेश को उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य प्रभाजन से पूर्व मिलान करने की आवश्यकता होती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेख के अनुसार, 31 मार्च 2023 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023) तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के बाद) का नकद शेष ₹ 1,448.31 करोड़ (डेबिट) था और आरबीआई {जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मिलान की गई} का नकद शेष ₹ 1,445.66 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अभिकरण बैंक के मध्य लेखा-समाधान न होने के कारण ₹ 2.65 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आंकड़ों के मध्य ₹ 83.32 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर भी था, जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 2022-23 के दौरान 14 दिनों के राजकोषीय बिलों में 27 अवसरों पर ₹ 22,739 करोड़ की राशि का निवेश किया और 38 अवसरों पर ₹ 22,739 करोड़ के पुनर्छूट वाले राजकोषीय बिलों का निवेश किया। वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के राजकोष बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान क्रय	वर्ष 2022-23 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2023 को अंत शेष
-	22,739	22,739	-
384*	-	-	384*

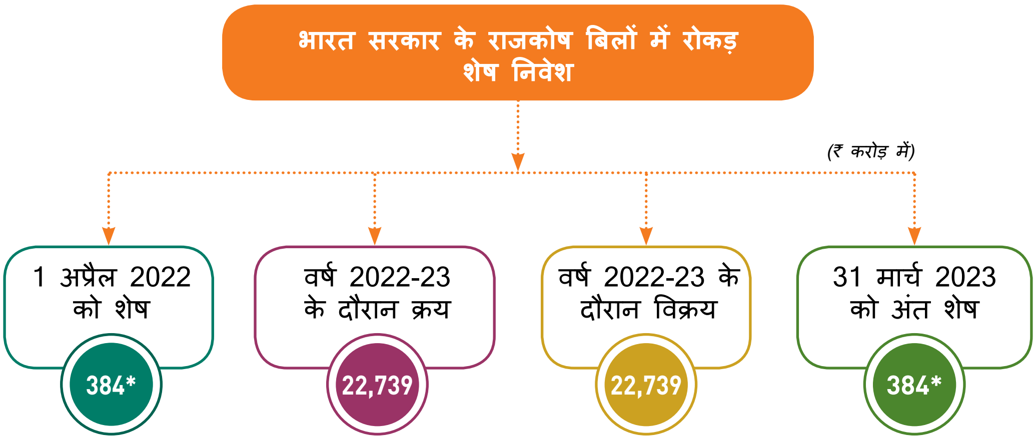

** तालिका में **बोल्ड** में दर्शाई गई राशि 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति (पुनर्गठन पूर्व) तक 14 दिनों के राजकोष बिलों में रोकड़ शेष के अंतर्गत निवेश का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अभी भी उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित करना है।*

5.2 ऋण और देयताएँ

भारत का संविधान संघ राज्य क्षेत्र सरकार को ऐसी सीमाओं के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है, यदि कोई हो, जैसा कि समय-समय पर संघ शासित विधानमंडल द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाए।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 (पुनर्गठन पश्चात) संघ शासित सरकार के लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

(आँकड़े प्रगामी शेष है)						
वर्ष	लोक ऋण	*जीएसडीपी* को ऋण*	लोक लेखा**	*जीएसडीपी* को प्रतिशत*	कुल देयताएं	*जीएसडीपी* को प्रतिशत*
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	3,498	*	2,002	*	5,500	*
2020-21	10,568	6.00	4,313	2.44	14,881	8.44
2021-22	19,193#	9.76	4,197	2.13	23,390#	11.89
2022-23	23,240#	10.34	4,707	2.09	27,947#	12.43

** संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए जीएसडीपी के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जीएसडीपी वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1,76,282 करोड़, 2021-22 के लिए ₹ 1,96,696 करोड़ और वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2,24,797 करोड़ है।*

*** इसमें अग्रिम, उचंत व विविध और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।*

 # जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक ऋण के रूप में पारित किए गए ₹ 5,945 करोड़ (2020-21 के ₹ 2,100 करोड़ और 2021-22 के ₹ 3,845 करोड़) सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लोक ऋण और अन्य देयताओं में ₹ 4,557 करोड़ की निवल वृद्धि हुई (वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिकर में कमी के बदले में भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 5,945 करोड़ के ऋण को छोड़कर)।

सरकार की देयताओं में प्रवृत्ति

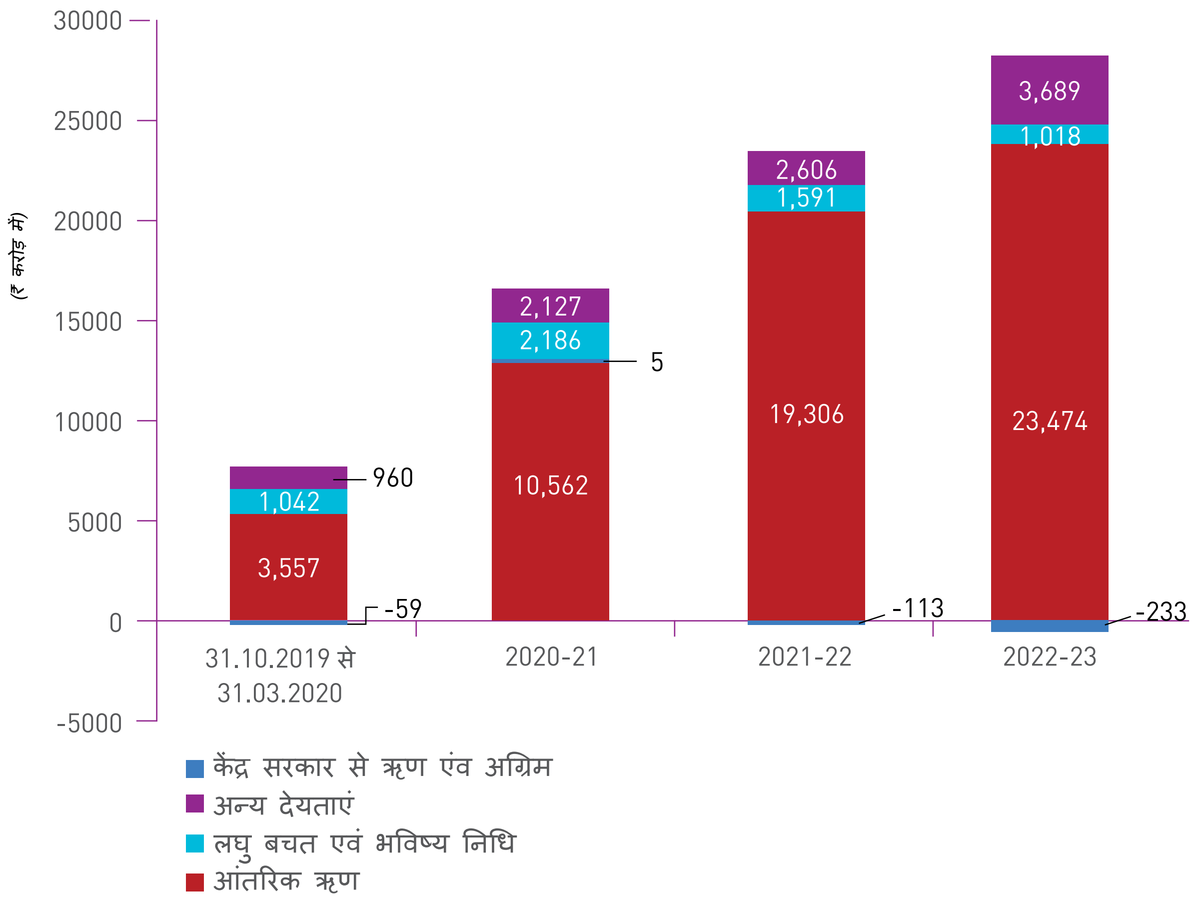

30 अक्टूबर 2019 को (पुनर्गठन पूर्व), ₹ 82,050 करोड़ का बकाया शेष भी था जिसे अभी भी उत्तरवर्ती जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के मध्य प्रभाजित करना है। तथापि, उक्त राशि को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित किया गया है।

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा बाजार व वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी देती है। ये प्रत्याभूतियां संघ राज्य क्षेत्र के बजट से बाहर प्रस्तुत की जाती हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू और कश्मीर के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समिति आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान) के पुनर्भुगतान के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	5,204	1,325	-
2020-21	12,564	1,486	-
2021-22	13,449	12,329	-
2022-23	34,833	24,867	0.50

नोट: वित्त लेखा के विवरण संख्या 20 में ब्यौरा उपलब्ध है। आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ मिलान के अधीन है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	5,204	1,325	-
2020-21	12,564	1,486	-
2021-22	13,449	12,329	-
2022-23	34,833	24,867	0.50

30 अक्टूबर 2019 को समाप्त होने वाली ₹ 452 करोड़ की मूलधन और ₹ 02 करोड़ के ब्याज की बकाया प्रत्याभूति, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, को जम्मू और कश्मीर राज्य अर्थात संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 2019 (गठन दिवस) से नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य में अभी भी प्रभाजित किया जाना है।

अध्याय 6

अन्य मदें

6.1 सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

सरकारी सेवकों (जिसके लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर ब्यौरेवार लेखाओं का अनुरक्षण करता है) को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को सौंपे गए लेखाओं द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों की सूचना को विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है। विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंत शेषों को 31 मार्च 2023 तक ऋण लेने वाली संस्थाओं/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। तथापि, विवरणों में बकायों की वसूलियाँ और उस पर खर्च किए गए ब्याज का ब्यौरा निहित नहीं है जैसा कि उक्त जानकारी संघ राज्य क्षेत्र सरकार (जुलाई 2023) से प्रतीक्षित है। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विभिन्न संस्थाओं को ₹ 59.53 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों को शून्य सहित) के ऋण दिए गए और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 1.33 करोड़ प्राप्त हुए (सरकारी कर्मचारियों से ₹ 0.81 करोड़ और अन्य संस्थाओं से ₹ 0.52 करोड़) जिससे 31 मार्च 2023 (अवधि 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023) तक ₹ 226.46 करोड़ का निवल बकाया ऋण रह गया)। ₹ 226.46 करोड़ के अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 तक ऋण और अग्रिम के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 1,740.44 करोड़ का बकाया शेष था जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

प्रत्येक वर्ष संबंधित विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को बकाया राशि (मूलधन और ब्याज दोनों) की वसूली के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। वर्ष 2022-2023 के दौरान ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

6.2 स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निर्मोचित अनुदान सहायता ₹ 6,281 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान नगर निगमों सहित शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान ₹ 1,151 करोड़ था, जो इस अवधि के दौरान प्रदान किए गए कुल अनुदान का 18.33 *प्रतिशत* है।

स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

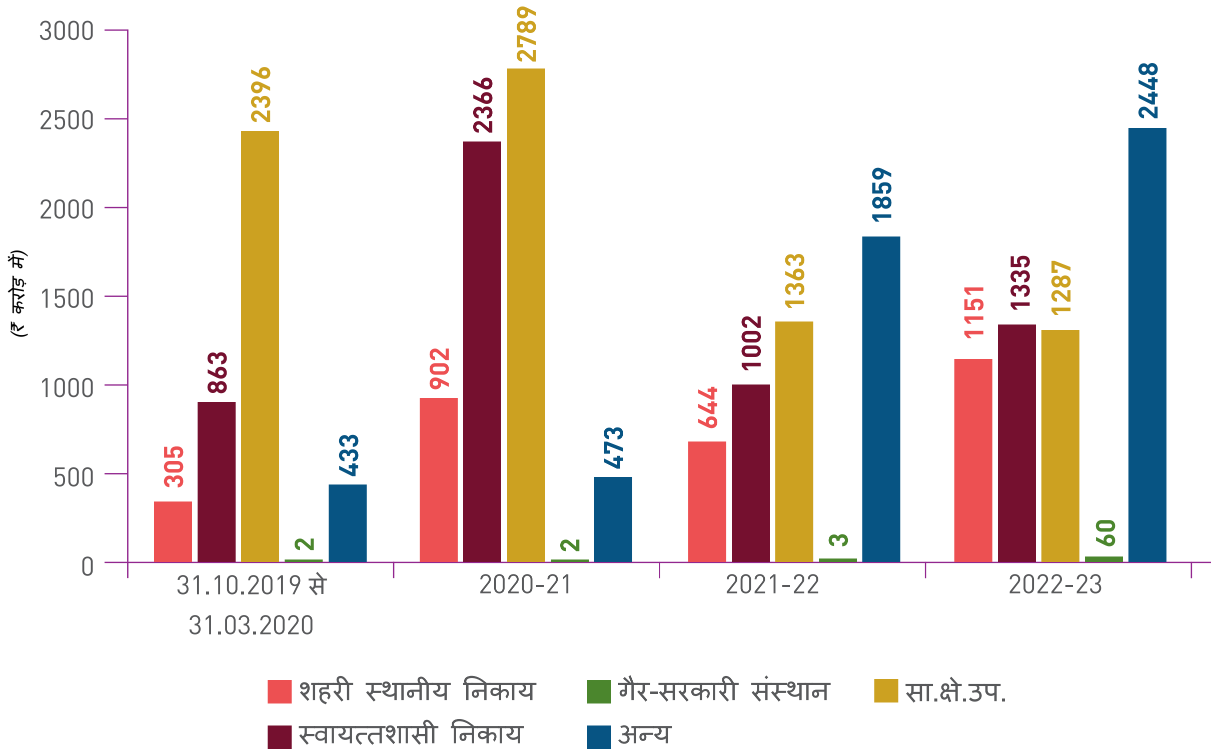

6.3 रोकड़ शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
रोकड़ शेष	1,448	1,448
	(-)42	**(-)42**
राजकोषों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	-	-
	28	**28**
विभागीय शेष	-	-
	05	**05**
स्थायी अग्रदाय	-	-
	*	*
आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ जमा	1,448	1,448
	(-)470	**(-)470**
रोकड़ शेष निवेश	-	-
	384	**384**
चिन्हित निधि शेषों से निवेश	-	-
	11	**11**

** नगण्य (₹ 0.12 करोड़ मात्र)*
***बोल्ड** में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिधारित शेषों का प्रतिनिधित्व करते है, जिन्हें अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।*

6.4 मासिक लेखा बंद करने के पश्चात राजकोषों द्वारा लेखा को फ्रीज (कीलित) न करना

मासिक लेखा को बंद करने के बाद राजकोषों द्वारा लेखा को फ्रीज न करने से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को मासिक लेखा प्रस्तुत करने के पश्चात आंकडों में हेर-फेर की संभावना हो सकती है और इससे प्रधान महालेखाकार कार्यालय और संघ राज्य क्षेत्र सरकार आंकड़ों/ डेटा का मिलान नहीं हो सकता। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में मासिक लेखा को बंद करने और उन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजने के पश्चात एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक लेखा को फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6.5 लेखों का मिलान

लेखा की सटीकता और विश्वसनीयता, अन्य बातों के अतिरिक्त, विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर समाधान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 63,500.04 करोड़ की प्राप्तियों, जो लोक ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों ₹ 68,975.95 करोड़ का 92.06 *प्रतिशत* है, तथा ₹ 52,963.32 करोड़ का व्यय (लोक ऋण को छोड़कर कुल व्यय ₹ 73,773.12 करोड़ का 71.79 *प्रतिशत*) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा समाधान कर लिया गया है।

6.6 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

जम्मू और कश्मीर सरकार के प्राप्तियों और व्यय के लेखा को 122 राजकोषों (जिनमें 20 जिला राजकोष और एक आभासी राजकोष सम्मिलित हैं) द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखा और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर संकलित किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से निर्माण और वन मंडलों के संबंध में पूंजीगत भाग से संबंधित सिविल लेखा प्रणाली और राजस्व भाग से संबंधित प्रणाली अप्रैल 2017 से अपनाई। तदनुसार, 2022-23 के दौरान निर्माण और वन मंडलों से कोई मासिक लेखा बकाया नहीं था। 31 मार्च 2023 की समाप्ति में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक संकलन प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

6.7 परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

वर्ष 2022-23 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की सलाह के बिना बजट में किसी उप-शीर्ष को नहीं खोला जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है।

6.8 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र का जीएसटी संग्रह 2021-22 में ₹ 6,394.30 करोड़ की तुलना में ₹ 7,211.98 करोड़ था, जिसमें ₹ 817.68 करोड़ (12.79 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें ₹ 4,922.62 करोड़ की आईजीएसटी का अग्रिम प्रभाजन सम्मिलित है। संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी कार्यान्वयन से राजस्व की हानि के कारण ₹ 418.12 करोड़ का प्रतिकर भी प्राप्त हुआ।

राज्य को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित करने के परिणामस्वरूप, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत निवल आगम का कोई अंश नहीं सौंपा गया।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को जीएसटी प्रतिकर के बदले में केंद्र सरकार से 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 5,945.29 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹ 2,099.80 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 3,845.49 करोड़) का एक के बाद एक (बैक-टू-बैक) ऋण प्राप्त हुआ था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों और वित्त लेखा में दर्ज आंकड़ों के मध्य अंतर के कारण सरकार द्वारा पिछले वर्षों से संबंधित कोई समायोजन प्रविष्टियां नहीं की गईं है।

6.9 असमायोजित सार आकस्मिक (एसी) बिल

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने सार आकस्मिक (एसी) बिलों के आहरण और उनके निपटान हेतु कोडल प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है। यद्यपि, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्तीय संहिता खंड-I (पैरा 7.18) में यह प्रावधान है कि जब आकस्मिक व्यय के लिए राजकोष से धन निकालना आवश्यक समझा जाता है, जिसके भुगतान से पहले वाउचर आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) एसी बिलों के माध्यम से धनराशि आहरण हेतु अधिकृत हैं। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (पुनर्गठन से पूर्व) वित्तीय संहिता पैरा 7.10 के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को अग्रिम राशि आहरित करने की तिथि से दो महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 3,310.85 करोड़ की राशि के आहरित 384 एसी बिलों में से ₹ 709.58 करोड़ (21.43 *प्रतिशत*) के 145 एसी बिल मार्च 2023 में आहरित किये गए। 31 मार्च 2023 तक कुल 1,589 एसी बिलों के संबंध में ₹ 14,191.82 करोड़ की राशि के डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए। 31 मार्च 2023 तक डीसीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण के लिए लंबित असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष (*)	लंबित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक (31.10.2019 से 31.01.2022)	1,035	10,653.62
2022-23 (01.02.2022 से 31.01.2023)	554	3,538.20
कुल	**1,589**	**14,191.82**

(*) उपरोक्त उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक निकासी और समायोजन के 2 माह पश्चात 31 मार्च 2023 तक का लेखा।

(ख) इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 तक बकाया ₹ 5,830.41 करोड़ की राशि के 2,154 ए.सी. बिलों में से, जो 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा आहरित गए थे, 31 मार्च 2023 तक ₹ 5,583.15 करोड़ की राशि के 1,877 ए.सी. बिलों से संबंधित डी.सी.सी. बिल प्रतीक्षित थे। इन बकाया ए.सी. बिलों का प्रभाजन उत्तरावर्ती संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है।

6.10 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियाँ केवल तभी संचालित की जानी चाहिए जब लेखा में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखा को अपारदर्शी बना देता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 37 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,482.97 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 73,773.12 करोड़) का 4.72 *प्रतिशत* है, को लेखा में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

इसी प्रकार, 34 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,585.14 करोड़ (मुख्य शीर्ष-0801 के अंतर्गत विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों को दर्शाने वाली ₹ 3,307.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों सहित), जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 68,975.95 करोड़) का 8.10 *प्रतिशत* है, को लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

6.11 राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव को नीचे सारणीकृत किया गया है:

मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)
राजस्व और पूंजीगत के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	219.13	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि पर ब्याज की गैर-अदायगी	25.61	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	25.61
राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा पर ब्याज की गैर-अदायगी	16.21	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	16.21
कुल (निवल) प्रभाव	**260.95**		**41.82**	

6.12 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने सहायता अनुदान प्राप्त करने और उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) जमा करने से संबंधित संशोधित नियम नहीं बनाए हैं। यद्यपि, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (पुनर्गठन से पहले) वित्तीय संहिता खंड-I के पैरा 10.19 के अनुसार, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में यूसी को अनुदान प्राप्त करने की तिथि से 18 महीने के भीतर या उसी उद्देश्य के लिए आगे के अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व, जो भी पहले हो, उसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। सीमा तक यूसी जमा न करने में यह जोखिम है कि वित्त लेखा में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुँची होगी।

(क) 31 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक की अवधि हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के पश्चात) से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 31 मार्च 2023 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष (*)	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 (31.10.2019 से 30.09.2020)	725	2,985.54
2022-23 (01.10.2020 से 30.09.2021)	577	3,570.56
कुल	**1,302**	**6,556.10**

(*) उपर्युक्त उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक निकासी के 18 माह पश्चात।

(ख) अग्रसर, वर्ष 2022-23 के दौरान, 31 मार्च 2022 तक ₹ 8,158.32 करोड़ के बकाया 3,088 बिलों में से, 30 सितंबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी से संबंधित ₹ 15.67 करोड़ के 657 बिलों का निपटान किया गया। 30 अक्टूबर 2019 तक तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी की स्थिति, जिसे 31 मार्च 2023 तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्यप्रभाजित किया जाना है को नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष (*)	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,726	6,181.21
2020-21	705	1,961.44
2021-22 (01.10.2019 से 30.10.2019)	शून्य	शून्य
कुल	**2,431**	**8,142.65**

(*) उपर्युक्त उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक निकासी के 18 माह पश्चात।

6.13 पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए व्यय को वित्त लेखा में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत ₹ 78.76 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के प्रति ₹ 48.48 करोड़ व्यय किए।

6.14 ब्याज समायोजन

(क) सरकार श्रेणी जे-आरक्षित निधियों (क. ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियां) और के-जमा और अग्रिम (क. ब्याज वहन करने वाली जमा) के अंतर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/ समायोजन करने हेतु उत्तरदायी है, इस उद्देश्य हेतु, मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधियाँ/जमाएँ	1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज देय	भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज कम भुगतान किया गया
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	764.57	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार (@ 3.35 प्रतिशत प्रति वर्ष)	25.61	शून्य	25.61
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	483.81		16.21	शून्य	16.21
		कुल	**41.82**	**शून्य**	**41.82**

₹ 41.82 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने/ कम भुगतान करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया है तथा राजकोषीय घाटे को ₹ 41.82 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

(ख) इसके साथ ही, सरकार "आई-लघु बचत और भविष्य निधि आदि" पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) लेखा पर ब्याज संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार (जुलाई 2023) द्वारा अनंतिम/ अस्थायी आधार पर दिया जाता है, जो अपने कर्मचारियों के जीपीएफ और एसएलआई लेखा के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 हेतु व्यय, राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा, देयताएं वास्तविक और अनंतिम आंकड़ों के मध्य अंतर की सीमा तक भिन्न होंगी।

6.15 अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने अप्रत्याशित/ असाधारण घटनाओं से संबंधित ना ही कोई विशिष्ट और विस्तृत लेखा शीर्ष संचालित किया है और ना ही अनुदान की मांग में बजट प्रावधान रखा गया है।

6.16 ब्लॉक अनुदानों को सम्मिलित न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की पुनर्संरचना

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के फलस्वरूप, केंद्रीय सहायता निर्मोचन को अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/ अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2023 तक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹ 5,350.88 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 1,997.43 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 3,353.45 करोड़) है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के अंश को छोड़कर केंद्रीय सहायता से व्यय सम्मिलित है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु संघ राज्य क्षेत्र का अंश संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा राजस्व भाग में समूह शीर्ष-0099- "सामान्य" और पूंजीगत भाग में 0011- "सामान्य" के अंतर्गत सामान्य व्यय से पूरा किया जाता है।

6.17 सरकार की ऑफ-बजट देयताएं

ऑफ-बजट उधार सरकार की देयता है, क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज सदैव सरकारी बजट के माध्यम से अथवा संघ राज्य क्षेत्र इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में चुकाया जाता है। वर्ष 2022-23 में, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/ वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताओं का प्रकटिकरण नहीं किया।

यद्यपि, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने (जुलाई 2023) सूचित किया है कि पुनर्गठन के पश्चात 31 मार्च 2023 तक ₹ 23,911.53 करोड़ की गैर-बजट उधारी बकाया थी। 2022-23 के दौरान ₹ 74.87 करोड़ का मूलधन और ₹ 1,423.79 करोड़ का ब्याज चुकाया गया। ये उधारी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के राजस्व से चुकाई गई है।

6.18 एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) को निधियों का हस्तांतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार[1] ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत धनराशि जारी करने और एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) के माध्यम से जारी की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने स्वयं के बैंक खाते के साथ स्थापित किया गया है, जिसे संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रक्रिया के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अपने लेखा में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित एसएनए के लेखा में संघ राज्य क्षेत्र के अंश के साथ स्थानांतरित करना है।

1. *दिनांक 23 मार्च 2021 का पत्र संख्या 1(13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020*

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 6,131.40 करोड़ मिले। इसमें पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार ₹ 5,955.50 करोड़ की राशि के अतिरिक्त, आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित ₹ 132.33 करोड़ और पीएमएवाई के लिए हस्तांतरित ₹ 43.57 करोड़ सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 3,514.36 करोड़ और इसी संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा ₹ 549.62 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्रधान महालेखाकार कार्यालय को एसएनए से प्राप्त नहीं हुए। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खाते में ₹ 3,603.59 करोड़ बिना व्यय किए हैं।

6.19 आकस्मिकता निधि

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनराशि का भुगतान और उससे धनराशि के आहरण से जुड़े या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने हेतु 'जम्मू और कश्मीर आकस्मिकता निधि नियम, 2020' (दिनांक 27 अगस्त 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ-271) बनाई हैं। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि में 2020-21 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से ₹ 25.00 करोड़ की समग्र निधि को हस्तांतरित किया गया है। 31 मार्च 2023 के अंत में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 25.00 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक तत्तकालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ एक करोड़ की राशि शेष थी, जिसे दोनों उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य अभी तक प्रभाजित किया शेष जाना है।

6.20 नई पेंशन योजना

वर्ष 2022-23 के दौरान, एनपीएस जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹ 1,773.57 करोड़ था। सरकार के योगदान की विस्तृत जानकारी वित्त खातों के *विवरण संख्या 15* में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखा में ₹ 1,773.57 करोड़ हस्तांतरित किए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, मुख्य शीर्ष-2071-लघु शीर्ष-117 के अंतर्गत सरकार का योगदान ₹ 1,002.01 करोड़ था और कर्मचारियों का योगदान ₹771.56 करोड़ था। 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के प्रत्यावर्तन की अधिसूचना नहीं दी है।

6.21 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (प्रमुख शीर्ष- '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत, जो ब्याज देने वाले भागों के अंतर्गत है) के गठन और प्रशासन पर दिशा-निदेशानुसार, केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। जम्मू और कश्मीर राज्य के दो नए संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के पश्चात, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को जारी रखा । वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी 'संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान' के कारण ₹ 279.00 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र सरकार का अंश ₹ 31.00 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अंतर्गत निधि में ₹ 381.83 करोड़ (केंद्रीय अंश ₹ 279.00 करोड़, संघ राज्य क्षेत्र का अंश ₹31.00 करोड़ और ब्याज ₹71.83 करोड़) हस्तांतरित किए। दिशा-निदेशानुसार निधि में योगदान करने के लिए आवश्यक ब्याज की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि ₹ 1,271.48 करोड़ थी जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

6.22 प्रतिकर वनरोपण निधि

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों की अनुपालन में, राज्य सरकारों के लिए प्रतिकर वनरोपण करने हेतु राज्य के लोक लेखा में ब्याज वहन करने वाले भाग के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त राशि हेतु राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि की स्थापना करना आवश्यक है।

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो नवीन संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर ने राज्य प्रतिकर वन रोपण निधि को जारी रखा। वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को उपयोगकर्ता अभिकरणों से ₹ 14.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.55 करोड़) प्राप्त हुए। 2022-23 व 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय निधि में कोई राशि नहीं भेजी गई। संघ राज्य क्षेत्र सरकार को राष्ट्रीय प्रतिकर वन रोपण जमा से शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य करोड़ के प्रति) प्राप्त होती है। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रतिकर वन रोपण निधि में कुल शेष राशि ₹ 764.57 करोड़ थी। 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8336- "सामान्य और अन्य आरक्षित निधि" के अंतर्गत ₹ 497.93 करोड़ का शेष भी था।

6.23 विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि का हस्तांतरण

महालेखानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पोर्टल के अनुसार, 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन अभिकरणों (विभिन्न सरकारी विभागों को ₹ 786.95 करोड़ सहित) द्वारा सीधे ₹ 4,237.34 करोड़ प्राप्त किए गए। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त कुल ₹ 4,237.34 करोड़ में से, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा मध्यवर्तियों को और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई राशि के बारे में सूचनासंघ राज्य क्षेत्र सरकार से अभी भी प्रतीक्षित है।

कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2021-22 की तुलना में 6.13 *प्रतिशत* बढ़ गया है (2021-22 में ₹ 3,992.76 करोड़ से ₹ 4,237.34 करोड़ तक 2022-23 में) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण का विवरण वित्त लेखा के परिशिष्ट-VI में है।

6.24 समेकित ऋण शोधन निधि

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में अलग से कोई समेकित ऋण शोधन निधि नहीं बनाई गई थी। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने जनवरी 2012 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की थी। सरकार के निर्धारित दिशानिदेशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होकर 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष 2010-11 के अंत तक बकाया देयताओं के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम 10 *प्रतिशत* योगदान कर सकती है, जिससे यह 2010-11 की बकाया देयताओं के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर हो जाए। इसके अतिरिक्त, उसके बाद वर्ष दर वर्ष वृद्धिशील देयताओं के संबंध में योगदान ऐसी वृद्धिशील देयताओं के 0.5 *प्रतिशत* पर किया जाएगा, जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त समझे जाने वाले स्तर तक पहुंचा जा सके। संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने वर्तमान निधि को जारी रखा और वर्ष 2022-23 में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने ₹ 58.91 करोड़ का योगदान दिया। वर्ष 2012 के दिशानिदेशों के अनुसार निधि में योगदान की जाने वाली आवश्यक राशि का समाधान नहीं किया जा सका क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि ₹ 355.87 करोड़ थी जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। निधि का कुल संचय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 (पुनर्गठन के पश्चात) की अवधि हेतु 31 मार्च 2023 तक ₹ 159.54 करोड़ (31 मार्च 2022 तक ₹ 100.63 करोड़) था।

6.25 प्रत्याभूति मोचन निधि

प्रत्यभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर आरबीआई के 2013 के दिशानिर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के लिए यह वांछनीय है कि वह वर्ष के आरम्भ में निधि में योगदान देने वाले वर्ष में बकाया प्रत्यभूतियों का न्यूनतम एक *प्रतिशत* योगदान करे और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 *प्रतिशत* योगदान करे जिससे पूर्व वर्ष की बकाया प्रत्यभूतियों का न्यूनतम तीन से पांच *प्रतिशत* का निधि प्राप्त किया जा सके। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2023 तक प्रत्यभूति मोचन निधि अधिनियम नहीं बनाया। अग्रसर, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की प्रत्यभूति मोचन निधि योजना में निधि में योगदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने निधि में केवल ₹ 1.00 करोड़ का योगदान दिया। पुनर्गठन के पश्चात की अवधि अर्थात (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023) हेतु 31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹ 5.00 करोड़ (31 मार्च 2022 तक ₹ 4.00 करोड़) था। पुनर्गठन से पूर्व 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹ 20.42 करोड़ का शेष भी था जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। ₹25.42 करोड़ की संपूर्ण राशि [संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से संबंधित ₹ 5.00 करोड़ (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023) और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 20.42 करोड़ (30 अक्टूबर 2019 तक)] सरकार द्वारा निवेशित नहीं की गई।

6.26 उचंत शेषों की स्थिति

वित्त लेखा उचंत और धन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष राशि दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का समाधान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष राशि को अलग-अलग जोड़कर निकाला गया है, जो 31 मार्च 2023 तक ₹ 149.44 करोड़ (निवल डेबिट) थी [31 मार्च 2022 तक ₹ 448.94 करोड़ (निवल डेबिट)]।

तत्तकालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) के अंत में उचंत और धन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,114.33 करोड़ [उचंत के अंतर्गत ₹ 733.16 करोड़ (डेबिट) और धन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 2,847.49 करोड़ (क्रेडिट)] का निवल क्रेडिट शेष भी था, जिसे उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर व संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान न होने से संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के अंतर्गत प्राप्ति/ व्यय के आंकड़ों और शेष राशि की सटीकता प्रभावित होती है।

6.27 अन्य उपकर/ शुल्क/ अधिभार

वर्ष 2022-2023 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029- "भूमि राजस्व" (श्रम उपकर के अतिरिक्त) के नीचे लघु शीर्ष 103- "भूमि पर दरें और उपकर" के अंतर्गत ₹ 41.79 करोड़ (2021-22 के दौरान ₹ 21.45 करोड़) की राशि दर्ज की। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एकत्रित उपकरों के हस्तांतरण हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कोई निधि स्थापित नहीं किया गया।

6.28 पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आवंटन

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 और 85) और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार की 30 अक्टूबर 2020 की अधिसूचना व उसके पश्चात 14 जनवरी 2021 के सरकारी आदेश संख्या 14-एफ 2021 में उस तरीके का प्रावधान है जिससे 31 अक्टूबर 2019 से उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य शेषों का प्रभाजन किया जाना है।

यद्यपि, इस संबंध में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2021 को सरकारी आदेश जारी किया गया, परंतु 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष है, वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से संबंधित जीपीएफ, एसएलआई और जमा के लिए ₹ 1486.13 करोड़ आवंटित किए गए। गैर-आवंटित मदों का विवरण वित्त लेखा के खंड-II के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

6.29 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)

भारत सरकार के राजपत्र की दिनांक 31 मार्च 2018 की अधिसूचना के अनुसार तत्कालीन केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा, राज्य और ग्रामीण सड़कों व अन्य आधारभूत संरचानाओं इत्यादि पर किया जाएगा।

वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा केंद्र से प्राप्त अनुदानों को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात, प्राप्त राशि को संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8449-103 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार को सीआरआईएफ हेतु ₹ 343.61 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, राशि को मुख्य शीर्ष 8449-103 में हस्तांतरित कर दिया गया।

6.30 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अंतर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में न्यूनीकरण परियोजनाओं के उद्देश्य से है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत एसडीएमएफ का गठन नहीं किया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/hi